सत्यमेव जयते

बुधवार,
७ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, ७ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नमक

*१६२५. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वस्तु नियंत्रण समिति द्वारा व्यापारियों को नामनिर्देशन करने की पद्धति को जहां कहीं भी वह प्रचलित हो, समाप्त करने और नमक का स्वतंत्र रूप से आयात करने के बारे में की गई सिफारिश के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : वस्तु नियंत्रण समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है तथा समस्त राज्यों से उत्तर आ जाने पर निश्चय किया जायेगा ।

श्री झूलन सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन क्षेत्रों में जहां पर यह पद्धति चालू है उपभोक्ताओं से बराबर अनुचित रूप से लाभ उठाया जा रहा है, क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निश्चय करने का है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं ने यही कहा था । वास्तव में, सरकार इस मामले में शीघ्रता से काम कर रही है । राज्य सरकारों से हम ने शीघ्र से शीघ्र उत्तर देने के लिये कहा है और विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही उत्तर भेज दिये हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : अन्य सरकारों से इस सम्बन्ध में कब कहा गया था ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में फरवरी में राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया था ।

श्रीमति ए० काले : नमक के मामले में हम आत्म निर्भर हैं या हमें आयात करना पड़ता है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं, हम इस सम्बन्ध में आत्म निर्भर हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि अब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नमक पर मनोपली कायम कर रक्खी है ?

श्री आर० जी० दुबे : उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनोपली कायम कर रक्खी है, इसके बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार के पास से सूचना मंगवाई गई है ।

टेलीफोन केबिल

*१६२६. **श्री राधा रमण** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टेलीफोन केबिल बनाने वाली फैक्टरी ने काम करना आरम्भ कर दिया है ; तथा

(ख) इस समय यह केबिल किस देश से आयात किये जा रहे हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां, फैक्टरी में अभी काम शुरू हुआ है और परीक्षण के लिय बिना लिपटा हुआ केबिल तैयार किया जा रहा है ।

(ख) जर्मनी, जापान, इंग्लैण्ड, इटली और हालैण्ड ।

श्री राधा रमण : हमें कुल कितने केबिल की आवश्यकता होती है तथा उसका कितना भाग इस फैक्टरी में बनने लगेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : १९४९-५० में केबिल के बारे में प्राक्कलन तैयार किया गया था उस समय यह अनुभव किया गया था कि हमें ४६९ मील लम्बे केबिल की आवश्यकता होगी । लेकिन वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार ६६० मील लम्बे केबिल की आवश्यकता होगी । हमारा ४७० मील तक के केबिल बनाने का विचार है ।

श्री राधा रमण : भारत को टेलीफोन केबिल के उत्पादन में सरकार कब तक आत्मनिर्भर बना देगी ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक सरकारी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है हमें ६६० मील लम्बा केबिल चाहिये । मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि अन्य फर्मों को भी इसकी आवश्यकता होती है या नहीं । किन्तु जहां तक सरकारी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि हम निकट भविष्य में ही उन्हें पूरा कर लेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कम्यूनिकेशन्स मिनिस्ट्री ने टेलिफोन्स के लिये जितने केबिल की ज़रूरत होती है, उस की रिक्वायरमेन्ट मिनिस्ट्री आफ प्रोडक्शन के पास भेजी है ? यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में मिनिस्ट्री क्या कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं ने कहा कि कम्यूनिकेशन्स मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि उन को करीब करीब ६६० मील तक का केबिल सालाना चाहिये । इस के बारे में प्रोडक्शन मिनिस्ट्री सोच विचार कर रही है । जो हमारी मौजूदा कैपैसिटी जो है वह ४७० मील की है । हम सोच रहे हैं कि जो हमारी फैक्ट्री है उसी में कुछ रद्दो बदल कर के इस प्रोडक्शन को एक्स्पैंड कर सकें तो अच्छा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : आयातित और देशी केबिल की कीमतों में क्या अन्तर है ?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बतला सकता ।

कहवे के बगीचे

*१६२७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कहवे के कितने बागीचों में संतरे के पेड़ों के साथ साथ इलायची तथा काली मिर्च की बेलें लगाई जाती हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के बागीचे जहां पेड़ तथा बेलें साथ साथ लगाई गई हों अधिक लाभदायक होते हैं ;

(ग) मिले-जुले बागीचों में लगाने के लिये क्या किसी विशेष प्रकार के कहवे की आवश्यकता होती है ;

(घ) भारत के दक्षिणी भाग को छोड़ कर क्या किसी अन्य भाग में कहवे की खेती करने का प्रयत्न किया गया है; तथा

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक. ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ). बिहार के कुछ भागों, पश्चिमी बंगाल (पूर्वी बंगाल से लगे हुए भागों में), आसाम, ऊपरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों, उड़ीसा और आन्ध्र राज्य में कहवा उगाने का प्रयत्न किया गया था । परिणाम उत्साहवर्धक नहीं निकले ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह बात सच नहीं है कि अंडमान में जो फारेस्ट्स हैं उन में काफी वाइल्डली ग्रो होती है ?

श्री करमरकर : इस का मुझे पता नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह बात सच नहीं है कि हिमालयन रेन्ज में यह काफी ग्रो हो सकती है ?

श्री करमरकर : हिमालय में टी ग्रो कर सकते हैं, काफी कर सकते हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम ।

श्री बर्मन : पश्चिमी बंगाल में कहवा उगाने के सम्बन्ध में कब प्रयोग किये गये थे ?

श्री करमरकर : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि ऐसा किस वर्ष में किया गया । मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बतलाया कि बिहार तथा अन्य स्थानों में कहवा उगाने का प्रयत्न किया गया था । क्या भारत सरकार के कहने पर कहवे की ऐसी किस्में तैयार करने का प्रयत्न किया गया है जो विभिन्न जलवायुओं में उग सकें और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री करमरकर : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

बाईसिकिल उद्योग

***१६२८. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) युद्धोत्तर काल में भारत में स्थापित की गई बाइसिकिल फैक्टरियों में से क्या किसी को आर्थिक सहायता दी गई है; तथा

(ख) इस उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । संगठित क्षेत्र में लगभग १.५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस पूंजी का कितना भाग भारतीय है तथा कितना विदेशी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : देशी बाइसिकिल उद्योग को विदेशी बाइसिकिल उद्योग के स्तर तक लाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में बात यह है कि भारत में जो साइकिलें बनती हैं वे उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी कि विदेशी ।

श्री साधन गुप्त : भारत में साइकिल उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है तथा उसमें से ब्रिटिश पूंजी कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या साइकिल उद्योगपतियों ने यह शिकायत की है कि इस्पात की कमी होने के कारण वे ठीक से साइकिलें नहीं बना सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ठीक इन शब्दों में नहीं ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*१६२९. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है कि जब तक समस्त निष्क्रान्त सम्पत्तियों के बारे में निश्चय न हो जाये तब तक निष्क्रान्त बंधक सम्पत्ति के निबटारे के सम्बन्ध में कार्यवाही स्थगित कर दी जायें ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अभिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

पुनर्वास उपमंत्री :(श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). जी हां, कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए थे यद्यपि उन में विशिष्टरूप से बंधक सम्पत्ति का उल्लेख नही था । क्यों कि निष्क्रांत और ग़ैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति के पृथक् किये जाने की कार्यवाही को स्थगित करने से विधेयक की योजना में विलम्ब होता, और इस बात के दृष्टिगोचर कि किसी भी दशा में नियत भागियों को बेदखल नहीं किया जायेगा, स्थगन का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार के पास यह सूचना है कि अब भी वही किराया लिया जा रहा है जो संरक्षक द्वारा लिया जाता था या कि बढ़ा कर लिया जा रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं नहीं कह सकता । सम्पत्ति के एक बार खरीद लिये जाने पर किरायेदारी के सामान्य नियम लागू होने लगते हैं ।

तिलैया और बुकारो से विद्युत सप्लाई

*१६३०. **श्री बी० के० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना में तिलैया और बुकारो प्लाटों में कितनी और विद्युत पैदा होने लगी है ;

(ख) विद्युत का प्रयोग कौन सी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है; तथा

(ग) किस दर पर बिद्युत दी जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):

(क) तिलैया ८७५ कीलोवाट
बुकारो २६००० कीलोवाट

(ख) तथा (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५०]

श्री बी० के० दास : सिन्दरी से ग्रिड को कितनी विद्युत और मिल रही है ?

श्री हाथी : २३,००० कीलोवाट ।

श्री बी० के० दास : क्या तिलैया और बुकारो विद्युत स्टेशनों से विद्युत सम्बन्धी सारी मांग पूरी हो जाती है ?

श्री हाथी : जी हां, इन स्टेशनों से सारी मांग पूरी हो जाती है ।

श्री बी० के० दास : देश के अन्य भागों के ग्रिड दरों के मुकाबले इस ग्रिड की दर कैसी बैठती है ?

श्री हाथी : मेरे पास अन्य स्टेशनों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं।

श्री पी० सी० बोस : क्या गांवों को सस्ती दर पर विद्युत देने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गई है जिससे उस का प्रयोग ग्राम उद्योगों का विकास करने तथा सिंचाई के लिये पानी निकालने में किया जा सके ?

श्री हाथी : आमतौर से दामोदर घाटी निगम थोड़ी मात्रा में विद्युत नहीं देता । विद्युत् का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने वालों अर्थात् बिहार सरकार और अन्य उद्योगों को इसे एक साथ अधिक मात्रा में खरीद लेना पड़ता है ।

अमरीका से निर्माण सम्बन्धी मशीनें

*१६३१. **श्री केलप्पन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अमरीका से भारत-अमरीकी टेकनिकल सहयोग समझौते के अन्तर्गत हीराकुड, ककरापाड़ा, माही और घाटप्रभा परियोजनाओं के लिये कुछ निर्माण संबंधी मशीनें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मशीनों तथा उपकरण के, जो इस सहायता के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं, विशेष विवरण क्या ह; तथा

(ग) उपरोक्त कार्य के लिये संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक द्वारा कौन सी मशीनें ली जायेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सारी वस्तु सूचियां संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक को दे दी जाती हैं जो संसार भर के देशों से टेंडर मांगते हैं । पूरी पूरी सूचना का एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१].

श्री केलप्पन : संभरण महानिदेशक के मार्फत जो मशीनें आई हैं, क्या उसके अलावा भारत-अमरीकी टेकनिकल सहयोग प्रशासन से सीधे ही कुछ मशीनें आई हैं ?

श्री हाथी : आम तौर पर हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसके लिये तरीक़ा यह है कि हम आर्डर दे देते हैं और रुपया इस सहायता में से दे दिया जाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : जब इस प्रकार के आर्डर दिये जाते हैं तो क्या वास्तव में संसार भर के देशों से टेंडर मांगे जाते हैं ?

श्री हाथी : मेरी सूचना तो यही है कि सारे देशों से मांगे जाते हैं ।

श्री केलप्पन : महानिदेशक ने इस मांग के अनुसार माल मंगाने के बारे में कुछ कठिनाइयां प्रकट की थीं । में जानना चाहता हूं कि क्या वे सब कठिनाइयां दूर हो गईं और सारा सामान प्राप्त हो गया ?

श्री हाथी : जब तक माननीय सदस्य किसी विशेष कठिनाई का निर्देश नहीं करते, तब तक मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या यह सच है कि संभरण महानिदेशक नें उन मशीनों के फ़ालतू पुर्ज़े ख़रीदे हैं जो काम में नहीं लाई जा रही हैं और बेकार पड़ी हुई हैं ?

श्री हाथी : यह प्रश्न तो यहां उत्पन्न नहीं होता ।

साइकिल उद्योग के लिये विकास परिषद

*१६३२. **श्री डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या साइकिल उद्योग के लिये एक विकास परिषद् स्थापित कर दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् की कोई बैठक हुई है ?

(ग) परिषद् की बैठक में क्या निश्चय किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, जनवरी १९५४ में एक बैठक हुई थी ।

(ग) बैठक में जो निश्चय किये गये थे उनका एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५२]

श्री डी० सी० शर्मा : विकास परिषद् द्वारा ३० जनवरी को जो उप-समितियां बनाई गई थीं क्या उन्होंने अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं; यदि नहीं, तो कब तक कर देंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी नहीं दी है । रिपोर्ट पेश करने के लिये कोई अन्तिम तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन साइकिल फ़ैक्टरियों में काम करने वाले मज़दूरों की श्रम संबंधी दशाओं के बारे में जांच करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : परिषद् जनवरी में ही स्थापित हुई है और तब ही उसकी बैठक हुई थी । मेरे ख्याल में अभी उसने इस विषय पर विचार नहीं किया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस उद्योग में छोटे पैमाने के यूनिटों के क्या कार्य होंगे और बड़े बड़े उद्योगों के साथ उनको किस प्रकार सहयोजित किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसका उचित उत्तर देना अभी सम्भव नहीं । विकास परिषद् को कुछ और समय के लिये काम करना होगा और तब ही हमें स्पष्ट रूप से स्थिति का ज्ञान होगा ।

श्री वी० पी० नायर : विवरण से पता चलता है कि मज़दूरों की दशाओं की देख-भाल करने का काम किसी भी उप-समिति को विशेष रूप से नहीं दिया गया है, केवल तीसरी उप-समिति के एक सदस्य से इस बारे में ध्यान रखने के लिये कहा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह निश्चय सरकार द्वारा नहीं बल्कि विकास परिषद् द्वारा किया गया है । परिषद् ने जिन कारणों से ऐसा निश्चय किया है मैं उन सब बातों में नहीं जा सकता ।

कोनार परियोजना

*१६३३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोनार परियोजना के जल-विद्युत संबंधी भाग को स्थगित करने के क्या कारण हैं ; तथा

(ख) उपरोक्त परियोजना के सिंचाई संबंधी कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : इसे प्रथम पंच-वर्षीय योजना में इस आशा से सम्मिलित नहीं किया गया था कि योजना काल में बुकारो ताप-विद्युत स्टेशन, तिलैया और सिन्दरी से पर्याप्त विद्युत मिल जायेगी ।

(ख) इकट्ठा किया हुआ पानी अगले मौसम से सिंचाई के लिये काम में लाया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : विभिन्न परियोजनाओं के विद्युत भाग का काम जिन

प्रक्रमों के अनुसार किया जायेगा, क्या इस बारे में कोई निश्चित नीति है ?

श्री हाथी: यह क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं पर निर्भर है ।

श्री एल० एन० मिश्र: जिन जिन क्षेत्रों के लिये हमारी नदी घाटी योजनायें हैं क्या वहां विद्युत के प्रयोग को लोक-प्रिय बनाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की जाती है ?

श्री हाथी: आम तौर से, इस बात की पड़ताल की जा रही है कि कहां कितनी बिजली ख़र्च होगी; जहां तक इन तीन परियोजनाओं का संबंध है, इन में पैदा होने वाली बिजली के प्रयोग के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री एस० एन० दास : कोनार के इस जलाशय से किस प्रकार की सिंचाई होगी ?

श्री हाथी : जलाशय से पानी बहा कर सिंचाई के लिये ले जाया जायेगा ।

बाबू राम नारायण सिंह : इस बांध से कितनी ज़मीन की सिंचाई होगी, और इसके लिये चैनल वगैरा बनाने का काम सब पूरा हो गया है या नहीं ?

श्री हाथी : दुर्गापुर बांध बनने से पहले पानी वर्तमान एन्डरसन नेहर से ले जाया जायेगा और इस मौसम में १६,००० एकड़ औस की फ़सल और २०,००० एकड़ रबी की फ़सल की सिंचाई होगी ।

श्री के० के० बसु : दामोदर घाटी निगम द्वारा जितनी बिजली पैदा की गई है क्या वह सब की सब उद्योगों में खप गई है या कि निगमों तथा अन्य थोक खरीदारों को बेच दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री हाथी : मैं इसे ठीक तरह से समझ नहीं सका ।

श्री के० के० बसु : मेरा प्रश्न यह है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा अब तक जितनी बिजली पैदा की गई है, क्या वह उद्योगों में खप गई है या उसे कलकत्ता केमिकल कारपोरेशन जैसे थोक ख़रीदारों को बेचना पड़ा था ?

श्री हाथी : मैं बता चुका हूं कि इसकी एक साथ काफ़ी मात्रा में खपत होती है । बिहार सरकार छोटे उद्योगों में इसे बांटती है ।

भारत का विदेशी व्यापार

*१६३४. **श्री राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३-५४ की दूसरी छः माही में (१) सरकारी लेखे में तथा (२) गैर सरकारी लेखे में भारत के विदेशी व्यापार (समुद्री तथा वायु मार्ग द्वारा) का कितना मूल्य था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५३]

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार की ओर से जो आयात तथा निर्यात होता है उसका सरकार कोई लेखा रखती है ?

श्री करमरकर : १९४८ से नहीं रखती ।

डा० राम सुभग सिंह : इसका क्या कारण है ?

श्री करमरकर : क्योंकि यह आवश्यक नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : विवरण के अनुसार निर्यात व्यापार में कुछ अतिरेक रहा है । क्या यह अतिरेक निर्यात में

वृद्धि होने के कारण है या निर्यात के मूल्य में वृद्धि होने के कारण?

श्री करमरकर : मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है । मेरे माननीय मित्र इसे 'ओवरसीज़ ट्रेड' नामक हमारी मासिक पत्रिका में देख सकते हैं जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

जहाज निर्माण

***१६३५. श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंच वर्षीय-योजना में जहाज निर्माण का जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उसका कितना प्रतिशत भाग पूरा हुआ है ?

त्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : ३६ प्रतिशत ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि शिप बिल्डिग के सिलसिले में जितने इस्पात की जरूरत होती है, क्या वह हमको पूरी तरह मिल जाता है और कारीगरों को खाली नहीं बैठना पड़ता है ?

श्री आर० जी० दुबे : स्टील के बारे में जो हमारी जरूरतें हैं वह पूरी तौर से इस देश में नहीं पूरी होती हैं, इस के लिये हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैंने जो सवाल किया था वह यह था कि साल भर हमारे कारीगर खाली बैठे रहते थे, और बीच बीच में उनको काम मिल जाता था क्यों कि हमारी पूरी आवश्यकता के लिये आयरन शीट (लोहे की चादर) नहीं मिलती हैं, तो क्या इसेका कोई इन्तजाम किया गया है कि उनको साल भर बराबर काम मिलता रहे ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक मुझे मालूम है यह मुसीबत आजकल नज़र नहीं आती ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सत्य है कि एक भी ऐसा भारतीय जहाज समवाय नहीं है जिसके पास २० नाट्स की चाल के तो क्या, १७ नाट्स की चाल वाले भी जहाज़ हों, तो क्या सरकार का विचार इन समवायों को २० नाट्स की चाल वाले जहाज रखने के लिये आदेश देने का है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता था कि १९५१ और १९५३ के बीच में हमारे शिप बिल्डिग यार्ड में कितने जहाज़ बनाये गये और सरकार द्वारा शिपयार्ड लेने के बाद फाइव इयर प्लान के अन्तर्गत जितने जहाज़ बनाने का प्रोग्राम रक्खा गया था उसमें कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री आर० जी दुबे : १९५१ और १९५३ के बीच में मेरे ख्याल से "जलपालक" "जलपुत्र" , "जगरानी," "जलप्रपात," और "जलपुष्पा" इतने जहाज़ बनाये गये हैं ।

मनिपुर में बाढ़ सहायता कार्य

***१६३६. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने मनीपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्रयोगात्मक सहायता कार्यों के लिये कोई राशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इस के लिये किस प्रकार के कार्य आरम्भ किये जायेंगे ;

(घ) क्या प्रयोगात्मक सहायता कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं ;

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत किन किन क्षेत्रों के आने की आशा है ; तथा

(च) इस कार्य में कितने लोगों के लगने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १.४८ लाख रुपये ।

(ग) टूटे फूटे बांधों की मरम्मत करना तथा वर्तमान बांधों को सुदृढ़ बनाना ।

(घ) यह मंजूरी १ अप्रैल १९५४ से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये की गई है ।

(ङ) एक विवरण, जिसमें उपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५४]

(च) औसत से लगभग ३०० आदमी लगभग ६ मास तक के लिये ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या दूसरी बाढ़ के आने से पूर्व इस कार्य के पूरा होने की कोई सम्भावना है ?

श्री हाथी : यह कार्य सम्भवतः लगभग छै मास तक चलेगा और इन उपायों से बाढ़ों को रोकना सम्भव हो सकता है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : इस काम में जो श्रमिक लगाये जायेंगे उन में कितनी स्त्रियां होंगी और क्या इन स्त्री श्रमिकों के लिये कोई सुविधायें हैं ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा, यह मंजूरी १ अप्रैल से लागू होगी । ये काम आरम्भ हो चुके होंगे या अब आरम्भ हो जायेंगे । इसकी अभी अभी मंजूरी दी गई है और अब यह विषय मनीपुर सरकार के हाथ में है । मैं श्रमिकों की संख्या तथा इन सब बातों के सम्बन्ध में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

चाय बोर्ड

***१६३७. श्री रामानन्द दास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय चाय बोर्ड का विदेशों में प्रचार के लिये जेनेवा में एक केन्द्र खोलने का प्रथम प्रयास असफल रहा है और बोर्ड को इस से बड़ी हानि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). चाय बोर्ड ने सितम्बर, १९५२ में जेनेवा में "स्प्लैंडिड" नामक एक स्थान के पट्टे को जारी रखने के अधिकार को खरीदा था । सरकार द्वारा जांच किये जाने पर यह देखा गया कि उसे केवल प्रचार के लिये एक चाय-गृह के रूप में चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं था और इसलिये उस के पट्टे के अधिकारों को बेच देने का निश्चय किया गया है । इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र पट्टे के अधिकार बेच दिये जायेंगे । इस से कितनी हानि होगी इस समय इस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

श्री रामानन्द दास : इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री करमरकर : पट्टे को जारी रखने का अधिकार खरीदने के लिये ३,६०,००० फ्रैंक दिये गये थे ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि विदेशों में बाजार की अवस्था का अध्ययन

करने और हमारी चाय को वहां लोक प्रिय बनाने के लिये एक चाय शिष्टमण्डल भेजा गया है ?

श्री करमरकर : शिष्टमण्डल चाय-गृह से भिन्न होता है ;

पशुओं का निर्यात

***१६३८. श्री मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत और रूस के बीच जो व्यापार करार हुआ है क्या उस में भारत से रूस को जीवित पशुओं के निर्यात के सम्बन्ध में भी एक मद है ;

(ख) भारत से किस प्रकार के पशुओं का निर्यात किया जायेगा ;

(ग) प्रति वर्ष कितने पशु भेजे जायेंगे ; तथा

(घ) देश के किस भाग से अधिक पशुओं का निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अधिकांशतया चिड़िया घरों के लिये अपेक्षित पशुओं का ।

(ग) इस करार में संख्या सम्बन्धी कोई वाकबद्धता नहीं है ।

(घ) यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रूस की सरकार किस प्रकार के पशुओं को प्राप्त करना चाहती है ।

श्री मुनिस्वामी : रूस वाले किस प्रकार के पशुओं में सबसे अधिक रूचि रखते हैं ?

श्री करमरकर : मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें अगले प्रश्न को लेना चाहिये ।

जापान को कुटीर उद्योग अध्ययन कर्त्ता दल

***१६३९. श्री सिंहासन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कुटीर उद्योगों तथा उनके विकास के अध्ययन के लिये विशेषज्ञों के किसी दल को जापान भेजने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कौन कौन से व्यक्ति चुने गये हैं ; तथा

(ग) वे कैसे और किस की सिफारिश से चुने गये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् । यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). इस दल के गठन के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री सिंहासन सिंह : इस दल को चुनने का आधार क्या है ; क्या इसके लिये कुटीर उद्योगों का कार्य करने वाले व्यक्तियों का पिछला अनुभव आधार माना जायेगा, अथवा सेवक श्रेणी के लोगों को वहां भेजा जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार का विचार इस समय उन लोगों को भेजने का है जिनका बाद में इस कार्य के लिये राज्यों में उपयोग किया जा सके ।

श्री दाभी : क्या यह सत्य है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व बम्बई सरकार ने कुटीर उद्योगों का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल जापान भेजा था, और उस प्रतिनिधि मण्डल ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसे बम्बई सरकार ने प्रकाशित कर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, मेरे विचार में उन्होंने एक व्यक्ति का प्रतिनिधि मंडल भेजा था ।

श्री बर्मन : पहले जो शिष्ट मंडल जापान भेजे जा चुके हैं उन से तथा जो कुटीर उद्योग सम्बन्धी उपकरण जापान से भारत लाये गये हैं उनसे देश को क्या लाभ पहुंचा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है अभी तक कोई लाभ न पहुंचा हो, किन्तु आशा है कि यह जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है इस से कुछ लाभ पहुंचेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : वाणिज्य तथा उद्योग और पुनर्वास मंत्रालय इन दोनों ने जिन विशेषज्ञों को जापान भेजा था उन्होंने वहां जो अनुभव प्राप्त किया क्या सरकार की सम्मति में वह पर्याप्त नहीं है, और क्या इसी कारण सरकार एक नया प्रतिनिधि मंडल भेजने का इरादा कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसका उत्तर हां में है ।

विस्थापित व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन

***१६४०. श्री शोभा राम :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों को उनके पड़ताल किये हुये दावों के बदले कृषि भूमि का आवंटन करने के लिये किन सिद्धांतों का अनुसरण किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस आवंटन से पिछले आवंटन रद्द हो जायेंगे ; तथा

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जें० कें० भोंसलें): (क) से (ग) । पंजाब और पेप्सू के बाहर उपलब्ध कृषि भूमि उन गैर-पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके दावों की पड़ताल हो चुकी है, सामान्यतया पंजाब और पेप्सू की अर्धस्थायी आवंटन योजना के अनुसार बांटी जा रही है । विस्थापित व्यक्तियों को किये गये पिछले आवंटनों को रद्द करने का इरादा नहीं है किन्तु कुछ मामलों में जिन में कि वह व्यक्ति जिसे भूमि दी गई है स्वयं उस भूमि में खेती न करता हो और पश्चिमी पाकिस्तान में उसकी अपनी भूमि न रही हो, तो सम्भवतः उस आवंटन को रद्द करना पड़े ।

श्री शोभा राम : राजस्थान में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जा रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : जो गैर विस्थापित व्यक्ति हैं और जिन के पास पाकिस्तान में भूमि नहीं थी और जो अपनी भूमि को स्वयं नहीं जोत रहे हैं उन से स्वाभाविकतया उन्हें दी हुई भूमि छीन ली जायेगी ; अन्यथा स्थिति वैसी ही रहेगी ।

श्री शोभा राम : मुझे यह बताया गया है कि नये दावों के प्रस्तुत किये जाने के कारण उन स्थानीय लोगों में जिन्हें पहले भूमि मिली हुई है, असन्तोष फैल रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आवंटन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अब किन सिद्धांतों का अनुसरण किया जा रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह असन्तोष केवल लगभग उन १२०० व्यक्तियों में फैल रहा है जिनकी भूमि के आवंटन रद्द कर दिये गये हैं । वे इसलिये रद्द किये गये हैं क्योंकि वे विस्थापित व्यक्ति नहीं हैं अथवा स्वयं खेती नहीं करते हैं और इसलिये उन के कोई दावे नहीं हैं ।

श्री शोभा राम : क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि इस आवंटन के पुनरीक्षण का उन स्थानीय व्यक्तियों पर जिन्हें पहले से भूमि मिली हुई है, कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : यह निष्क्रांत व्यक्तियों की भूमि है और इस पर स्थानीय व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गयी है कि बहुत से विस्थापित व्यक्तियों को--पंजाबी तथा पंजाबी उदभव के—जिन्हें राजस्थान में भूमि दी गई थी, किन्तु जिन्हे कुछ भूमि पंजाब में भी मिली थी, यह कहा गया था कि यदि उन्हें राजस्थान में मिली हुई भूमि रखनी है तो उन्हे पंजाब के आवंटन रद्द करवा देने चाहियें; और अब जब कि उन्होंने पंजाब में अपने आवंटन रद्द करवा लिये हैं, तो उन्हें राजस्थान में वह आवंटन नहीं मिल रहे हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यदि उनके पंजाब के आवंटन समय पर रद्द हो जाते हैं, तो उन्हें निश्चय ही राजस्थान में आवंटन मिल जायेंगे ।

आकाशवाणी केन्द्रों से सम्बन्धित समितियां

***१६४१. श्री के० के० बसु :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संगीतज्ञों का कार्यक्रम बनाने के लिये प्रत्येक प्रसारण केन्द्र के साथ कोई गैर सरकारी विशेषज्ञ समिति है ;

(ख) क्या संगीतज्ञों अथवा गायकों के चयन के लिये कोई स्तर निश्चित किया गया है ; तथा

(ग) क्या कलकत्ता केन्द्र में रवीन्द्र संगीत के बारे में कोई समिति है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) संगीत का कार्यक्रम तैयार करने के लिये किसी भी प्रसारण केन्द्र में गैर सरकारी विशेषज्ञ समितियां नहीं हैं । यह कार्य उन विशेषज्ञों को दिया गया है जिनकी नियुक्ति परामर्शदाताओं अथवा देखभाल करने वाले पदाधिकारियों के रूप में हुई है । किन्तु केन्द्रों से सम्बन्धित प्रत्येक कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति में दो या तीन संगीत विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है और उन से संगीत सम्बन्धी मामलों में परामर्श देकर केन्द्र की सहायता करने की आशा की जाती है ।

(ख) संगीतज्ञों के चयन के बारे में कोई विशेष तथा कठोर नियम बनाना तो सम्भव नहीं है, किन्तु संगीत की विभिन्न श्रेणियों के बारे में सामान्य बातें निश्चित कर दी गई हैं । संगीत सम्बन्धी चयन करने में सहायता देने के लिये बहुत से केन्द्रों में संगीत विशेषज्ञों की स्वर परीक्षण समितियां नियुक्त कर दी गई हैं ।

(ग) कलकत्ता में रवीन्द्र संगीत के लिये कोई विशेष समिति नहीं है । किन्तु कलकत्ता की स्थानीय स्वर परीक्षण समिति में रवीन्द्र संगीत के एक विशेषज्ञ हैं ।

श्री के० के० बसु : कलकत्ता केन्द्र में रवीन्द्र संगीत के विशेषज्ञ का नाम क्या है ?

डा केसकर : उनका नाम श्री शांति देव घोष है ।

श्री के० के० बसु: क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि सुविख्यात संगीतज्ञ श्रीमती सुचिता मिश्र का नाम चुने हुये संगीतज्ञों की सूची में से कई महीनों से निकाल दिया गया है, यदि यह ठीक है तो इसके क्या कारण हैं ?

डा० केसकर : यदि माननीय सदस्य यह सूचना मुझे लिखित रूप में दें तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या इन कार्यों के लिये व्यक्तियों का चुनाव किन्हीं विशेष प्रकार की संगीत प्रणालियों में से किया जाता है ?

डा० केसकर : मैं समझ नहीं सका ।

दीवान राघवेन्द्र राव : स्कूल से मेरा अभिप्राय घराने से है ।

डा० केसकर : मैं तो नहीं समझता कि रवीन्द्र संगीत भी एक घराना है, किन्तु निश्चय ही यह एक प्रकार का संगीत है ।

रेलवे कोयला खदानों के कर्मचारी

***१६४२. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब रेलवे कोयला खदानों का स्वामित्व उनके मंत्रालय को स्थानान्तरित किया जायेगा तो कोयला खदानों के कर्मचारियों के सेवा काल की निरन्तरता तथा सेवा सम्बन्धी निबन्धनों की सुरक्षा के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : रेलवे कोयला खदानों का स्वामित्व १ अप्रैल, १९५४ से उत्पादन मंत्रालय को स्थानान्तरित हो चुका है । कर्मचारियों के सेवा काल की निरन्तरता तथा सेवा सम्बन्धी वर्तमान शर्तों एवं निबन्धनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये विस्तृत बातें रेलवे मंत्रालय से परामर्श करके बनाई जा रहीं हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मुझे ऐसा ध्यान है कि रेलवे बोर्ड ने पिछले वर्ष यह निर्णय किया था कि उत्पादन मंत्रालय को दिये गये रेलवे कर्मचारियों की सेवा को उधार दी गई सेवा के रूप में समझा जायेगा और ये रेलवे कर्मचारी रेलवे नियमों द्वारा शासित होंगे । क्या सरकार उस सिद्धांत पर अब भी दृढ़ रहेगी ?

श्री आर जी० दुबे : वाद विवाद के समय यह प्रश्न उठाया गया था । इसके बाद उन्हीं शर्तों को बनाये रखने में होने वाले काम को वहन करने में रेलवे मंत्रालय प्रकटतः समर्थ नहीं होगा । अतः यह सुझाव रखा गया है कि उत्पादन मंत्रालय रेलवे मंत्रालय को इकट्ठा रुपया दे दे और यह मामला तै हो जायगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : इस मामले में कोई समझौता अथवा निर्णय करने से पूर्व क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के विचार जानने के सम्बन्ध में भी कोई प्रयत्न करने का सरकार का विचार है ?

श्री आर० जी० दुबे : औपचारिक प्रबन्ध तथा अन्य बातों सम्बन्धी विस्तृत बातें विचाराधीन हैं । मैं निश्चित तो नहीं हूं किन्तु इतना मुझे विश्वास है कि स्थानीय पदाधिकारी इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के विचारों पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मुझे ज्ञात हुआ है कि ठेका प्रणाली भी १ अप्रैल से समाप्त कर दी गई है । इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ठेकेदारों के कर्मचारियों को सरकार ने काम दे दिया है अथवा सरकार उन्हें काम देगी, यदि हां, तो किन शर्तों एवं निबन्धनों पर ?

श्री आर० जी० दुबे : इस प्रश्न की विस्तृत बातों के लिये मुझे प्रथक पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री पी सी० बोस : क्या यह सच है कि निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों को कोयला खदान नियमों के अनुसार सुविधायें मिल रही हैं जब कि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को रेलवे नियमों के अनुसार ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, जिन रेलवे कर्मचारियों ने १९४४ के पहले से कार्य प्रारंम्भ किया है, उन्हें ये सुविधायें मिलती रहेंगी।

हीरा कुड बांध

*१६४३. **श्री सारंगधर दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुड बांध सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की उन सिफारिशों के अनुसार जो सन् १६४८ में की गई थीं निकटवर्ती क्षेत्र में वनीकरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो सरकार यह कार्य कब शुरू करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) । उड़ीसा सरकार ने एक योजना तैयार की है जिस पर भारत सरकार योजना आयोग के परामर्श से विचार कर रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रार्थना की गई कि शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को प्रारम्भ किया जाय ?

श्री हाथी : मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में योजना आयोग बातचीत कर हरा है।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार यह विचार करती है कि कुछ वर्षों की देरी के फलस्वरूप वहां अधिक रेत इक्ट्ठा हो जायेगा जब कि वनीकरण का कार्य यदि पहले ही प्रारम्भ हो गया होता तो इतना रेत इक्ट्ठा नहीं होता ?

श्री हाथी : सरकार समझती है कि इस मामले पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये और पानी जमा किये जाने से पूर्व कुछ न कुछ हो जाना चाहिये । और वह हो रहा है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार को यह सुझाव देने के बारे में विचार करेगी कि इसमें उसका ही लाभ अधिक है क्योंकि इस प्रकार काफी मात्रा में होने वाली भूमि क्षय रुक जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति ।

श्री के० के० बसु : क्या स्थिति की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुए सरकार यथाशीघ्र ही इसी चालू आर्थिक वर्ष में इस मामले को प्रारम्भ कर देगी ?

श्री हाथी : ठीक यही बात मैंने कही है। सरकार का ध्यान इस ओर है। चूंकि हीराकुंड बांध का निकटवर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी आता है इसीलिये योजना आयोग ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया है। हम भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

कच्छ की सीमा पर आक्रमण

*१६४४. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस चालू वर्ष में कच्छ की सीमा पर (१) डाकुओं द्वारा तथा (२) चौर्यानियन करने वालों द्वारा कुल कितने आक्रमण किये गये हैं ?

(ख) उनमें से कितनों में पुलिस से भिड़न्त हुई ?

(ग) सीमा के साथ साथ पुलिस की कितनी चौकियां बनाई गई हैं और इस सीमा की कुल लम्बाई कितनी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख)। सन् १९५४ में अब तक डाकुओं द्वारा कुल एक आक्रमण हुआ है । इस मामले में पुलिस आक्रमणकारियों का अवरोध करने में समर्थ नहीं हुई।

(ग) सीमा की कुल लम्बाई लगभग ५१४ मील है । सीमा पर पुलिस की ११ चौकियां हैं।

श्री के० सी० सोधिया : सम्पत्ति की अनुमानतः हानि कितनी हुई ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस वर्ष में हुए इस विशेष आक्रमण के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या पाकिस्तान से मिलने वाली कच्छ-सौराश्ट्र की सीमा पर, अमरीका तथा पाकिस्तान का समझौता हो जाने के बाद सुरक्षा पंक्ति का पुनरीक्षण किया गया है तथा उसको सुदृढ़ किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है ।

आंध्र से निर्यात

*१६४५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आंध्र के स्थानीय बाज़ारों में प्याज़, गुड़ तथा मूंगफली के तेल के मूल्यों में भारी मंदी आ जाने तथा इन वस्तुओं का काफी स्टाक जमा हो जाने के कारण वहां की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन वस्तुओं का निर्यात करने में सुविधा दिये जाने की प्रार्थना की है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या रहा तथा क्या उत्तर दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) मूंगफली के तेल के बारे में यह निर्णय हुआ है कि इस समय इसके निर्यात की आज्ञा नहीं दी जायेगी और आंध्र सरकार को इसी प्रकार की सूचना दे दी गई है। अन्य वस्तुओं के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सरकार का विचार प्याज़, मूंगफली तथा गुड़ जैसी वाणिज्य फसलों का उचित मूल्य निर्धारित करने का है, जिस से किसानों को इन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, तथा सट्टेबाज़ विदेशी व्यापारी, तथा बड़े बड़े व्यापारी फसल तय्यार होने के अवसर पर इनके मूल्य न गिरा सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि हम निर्यात करने का निश्चय करें तो इस विषय पर विचार किया जा सकता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या आंध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्याज़, मिर्च इत्यादि के निर्यात की आज्ञा मांगी है, तथा क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का भी वही अभिप्राय है जो माननीय सदस्य के प्रश्न का था। उत्तर दिया जा चुका है कि अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री के० के० बसु : प्रश्न के खण्ड (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऐसा स्टाक अधिक मात्रा में जमा हो जाने से बाज़ार में उतार या मंदी आ सकती है इस लिये क्या सरकार का विचार सरकारी क्रय करने या किसी प्रकार का मूल्य निर्धारण करने का है जिस से लोगों पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न के पीछे जिस बात को आधार के रूप में मान लिया गया उसे सरकार मानने को तय्यार नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे––

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति, मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

विस्थापित व्यक्तियों के शिविर

*१६४७. **श्री के० आर० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों के शिविर में, राशन के निशुल्क तथा अनधिकृत राशन कार्डों पर दिये जाने के कारण, सरकार को ११ लाख रुपये से अधिक की हानि उठानी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है जो इस हानि के उत्तरदायी हैं ;

(ग) शिविर के कमान्डैन्टों के नाम ; तथा

(घ) प्रत्येक शिविर के निवासियों की संख्या तथा उसका कार्य काल ?

पुनर्वास मंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां, कुरुक्षेत्र सहायता शिविर में अनधिकृत राशन कार्डों पर दिये जाने वाले राशन के सम्बन्ध में ११ लाख रुपये से अधिक की हानि हुई है ।

(ख) उस समय जब कि कुरुक्षेत्र शिविर के निवासियों की संख्या लगभग तीन लाख थी और इसी शिविर के निवासियों की संख्या पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में आते रहने वाले शरणार्थियों के कारण तथा इस शिविर के निवासियों के अन्य स्थानों को जाते रहने के कारण, बराबर बदलती रहती थी कुरुक्षेत्र में अनधिकृत राशन कार्डों के जारी किये जाने को रोकना संभव नहीं था । उस समय सरकार का सब से बड़ा कार्य उन लोगों को, जो अपना सब कुछ खो देने के बाद बिलकुल विक्षिप्त सी अवस्था में आये थे, भोजन तथा आश्रय देना तथा उनके डाक्टरी उपचार का प्रबन्ध करना था । राशन के अनधिकृत रूप से लिये जाने से हानि न होने पावे इसके लिये जो साधारण प्रतिबन्ध लगाये गये थे उनका आरम्भ में पालन करना कठिन था । इस के पश्चात् इसके लिये किसी विशेष अधिकारी पर इसका उत्तरदायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता था । बाद में, मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को आदेश भेजे गये थे कि इस प्रकार की हानि आगे न होने पाये ।

(ग) लैफ्टीनैन्ट कर्नल, एन० डी० पुरी।

(घ) सितम्बर १९४७ से अप्रैल १९५० तक कुरुक्षेत्र शिविर के निवासियों की संख्या दो लाख और तीन लाख के बीच में रही थी ।

लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता में छटनी

*१६४८. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के राजकीय लेखन सामग्री कार्यालय के अनेक नीचे दर्जे के क्लर्कों को १ मार्च, १९५४ को छंटनी के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें अधिकांश क्लर्क ऐसे हैं जो १९४२ से बराबर काम कर रहे हैं तथा जिन्हें अर्धस्थायी बना दिया गया है ; तथा

(ग) क्या सरकार ने इस लेखन सामग्री कार्यालय के कर्मचारी मण्डल की ओर से इस सम्बन्ध में भेजे गये अभ्यावेदन के फलस्वरूप कोई कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार हुक्म सिंह : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच नहीं है कि इन में कई कर्मचारी लगभग १२ वर्ष कार्य कर चुके थे और उन्होंने अर्धस्थायी पदस्थिति प्राप्त कर ली थी तथा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि न्यूनाधिक उन को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो स्थायी पद वालों को प्राप्त होते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न के तीन भाग हैं । उन में से कुछ अर्धस्थायी हो गये हैं । उन में से कुछ ने ११ या १२ वर्ष कार्य किया है । जब किसी कर्मचारी

को अर्धस्थायी बनाया जाता है तो उसे ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है कि उस को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: छंटनी के नोटिस में कोई कारण क्यों नहीं बताया गया था, विशेषकर उस अवस्था में जब कि कर्मचारी शिकायत कर रहे थे कि पिछड़ा हुआ काम जमा होता जा रहा था तथा और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह: इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की जानकारी बिल्कुल ठीक नहीं है। वास्तव में यह मामला तो कई वर्षों से विचाराधीन है । नोटिस तो १९५२ के मध्य में दिये गये थे जब कि कर्मचारियों ने छंटनी के नोटिसों के कार्यान्वितीयकरण को स्थिगित कराने के लिये कलकत्ते के उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। दिसम्बर १९५३ में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा रद्द कर दी । यह नोटिस उस के बाद दिये गये हैं । इस संगठन के संचालन की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। उसकी सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप यह नोटिस दिये गये थे। कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के लिये ही ऐसा किया गया है। परन्तु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के लिये कोई वैकल्पिक नौकरी ढूंडने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: सरकार ने इस सम्बन्ध में कर्मचारियों तथा उनके विभागों द्वारा बनाई गई, उत्तम सम्बन्ध समिति से परामर्श क्यों नहीं किया ?

सरदार स्वर्ण सिंह: इस में कोई बात नहीं थी । यह निर्णय एक ऐसी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था जो इस के अनेक पहलुओं पर पहले ही विचार कर चुकी थी । इसलिये मेरी समझ में नहीं

आता है कि उत्तम सम्बन्ध समिति से परामर्श करने से क्या लाभ होता। इन लोगों ने न्यायालय की शरण लेना उचित समझा। अब न्यायालय ने निर्णय किया है कि यह आदेश उनके पास उचित रूप से भेजे गये थे । इतने पर भी हम इन के लिये वैकल्पिक नौकरियां ढूंडने का प्रयत्न कर रहे हैं।

नमक उपकर

*१६४९. **श्री नटेशन**: क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में नमक पर कुल कितना उपकर वसूल किया गया ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) :

१९५२-५३. . . .९६,११,००० रुपये
१९५३-५४. . . ८४,८८,५०० रुपये
(फरवरी १९५४ के अन्त तक)

श्री नटेशन: इस उपकर का कौन सा भाग अब तक नमक उद्योग पर खर्च किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं बिना देखे भाले यह नहीं बता सकता हूं कि इस उपकर का कौनसा भाग नमक उद्योग पर खर्च किया गया है क्योंकि मेरे पास यह जानकारी यहां मौजूद नहीं है। परन्तु विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं कुछ बता सकता हूं । खड़गोड़ा में एक लाख रुपया खर्च करने का विचार है तथा बम्बई, मद्रास इत्यादि राज्यों में कुछ और धनराशियां खर्च करने का विचार है।

श्री नटेशन : प्राप्त होने वाले उपकर की शेष धनराशि क्या सामान्य राजस्व में सम्मिलित कर दी जाती है ?

श्री आर० जी० दुबे : हां। जो नमक उपकर वसूल होता है उसे भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाता है ?

श्रीमती ए० काले : क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दिन रात बहने वाले खारी पानी का उपयोग करने के लिये कोई उपाय किये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं हं । आज ही प्रातः कुछ माननीय सदस्यों ने, जो हाल में मण्डी गये थे इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । मुझे विश्वास है कि मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार करेगा ।

कच्ची सीसल का आयात

*१६५०. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में पूर्वी अफ़्रीका से कितनी कच्ची सीसल का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : कच्ची सीसल का आयात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत किया जाता है । चूंकि सीमा शुल्कं विवरणों में कच्ची सीसल को पृथक रूप से अभिलिखित नहीं किया जाता है इस लिये यह बताना है कि १९५३-५४ में पूर्वी अफ़्रीका से इस वस्तु की कितनी मात्रा का आयात किया गया संभव नहीं है ।

प्रादेशिक समाचार विज्ञप्तियां

*१६५१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कौन से आल इंडया रेडियो केन्द्र प्रादेशिक समाचार विज्ञप्तियां प्रसारित करते हैं ; तथा

(ख) क्या ऐसी प्रादेशिक समाचार विज्ञप्तियों को भारत के सभी रेडियो केन्द्रों से प्रसारित कराने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) प्रादेशिक समाचार विज्ञप्तियां लखनऊ तथा नागपुर से प्रसारित की जा रही हैं । १५ अप्रैल, १९५४ से बम्बई केन्द्र से तथा १ मई, १९५४ से कलकत्ता तथा मद्रास केन्द्र से इसी प्रकार की सेवा आरम्भ कर दी जायेगी ।

(ख) हां ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह सर्विस भारत के अन्य रेडियों केन्द्रों में कब आरम्भ की जायेगी ?

डा० केसकर : मुझे आशा है कि ऐसा बहुत शीघ्र होगा । यह सर्विस पहिले केवल प्रयोगात्कम रूप में चलाई गई थी, क्योंकि हम बहुत अधिक धन विनियोजित करके एक ऐसी सर्विस नहीं चलाना चाहते थे जिस में आरम्भिक अवस्था में ही अनुभव की कमी के कारण पुनःसमायोजन करना पड़ता । इसलिये हमने इसे केवल एक या दो केन्द्रों में ही आरम्भ किया और यह प्रयोग सफल हुआ है । अब हमारा विचार इस प्रकार के और तीन या चार प्रादेशिक समाचार बुलेटिन केन्द्र खोलने का है और मुझे आशा है कि यह सर्विस शीघ्र ही सभी केन्द्रों में, जो कि राज्यों की राजधानी हैं; आरम्भ की जायेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि इन प्रादेशिक समाचारों के प्रसारण करने में अखिल भारतीय बहस के समाचारों की अपेक्षा स्थानीय तथा वर्गीय (सैक्शनल) समाचारों पर अधिक ध्यान दिया जाता है ?

डा० केसकर : वर्गीय समाचारों पर नहीं अपितु प्रादेशिक समाचारों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रादेशिक समाचारों के लिये ही होता है । अखिल भारतीय स्वरूप के समाचार यहां से सभी भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं और ये सम्बद्ध अधिकांश केन्द्रों द्वारा पुनः प्रसारित किये जाते हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या ये समाचार आकाश वाणी के संगठन द्वारा एकत्रित किये

जाते हैं या समाचार एजेंसियों द्वारा या सरकारी स्रोतों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं ?

डा० केसकर : इन अधिकांश केन्द्रों में हम अपने ही आदमी रखना चाहते हैं। वे अभी नियुक्त नहीं किये गए हैं, किन्तु जहां कहीं भी ये केन्द्र हैं वहां हमारा अपने आदमी नियुक्त करने का विचार है। उदाहरणार्थ, हमारा एक सम्वाददाता लखनऊ में है और दूसरा नागपुर में है । जिन अन्य तीन केन्द्रों को खोलने का हमारा विचार है वहां हमारा अपने आदमी नियुक्त करने का विचार है । इसके अतिरिक्त, स्थानीय समाचार एजेन्सी द्वारा दिये गये समाचारों का भी उपयोग किया जायगा ।

भोगोलिक संस्था

*१६५२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत की भौगोलिक संस्था, भारत के उत्तरी सीमान्त की, उस प्रदेश के जिन स्थानों के नक्शे तय्यार नहीं हुए हैं उनके नक्शे तय्यार करने के उद्देश्य से, एक अभियान भेजने की योजना बना रही है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उस अभियान के कब भेजे जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). सरकार के पास इस अभियान के बारे में कोई सूचना नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को विदित है कि चीन ने एक नक्शा तैय्यार किया है जिसमें उस प्रदेश के कुछ भाग को चीन के भाग के रूप में दिखा गया है, और यदि ऐसा है तो क्या सरकार का उस प्रदेश का नक्शा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के आधार पर तय्यार करवाने का विचार है ?

श्री अनिल के० चन्दा : भारत के उत्तरी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बार बार दुहराया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैंने इसका उत्तर नहीं सुना । इसका उत्तर क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैंने यह कहा था कि भारत की अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरी सीमा के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : यही तो मैं जानना चाहता हूं यदि उसके बारे में कोई सन्देह नहीं है तो क्या सरकार उसके आधार पर नक्शा तय्यार करवायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सामान्य रूप से हमारे नक्शे उसी आधार पर तैय्यार किये जाते हैं। यदि माननीय सदस्य उस क्षेत्र का एक बहुत विस्तृत नक्शा चाहते हैं तो वह तय्यार करवाना पड़ेगा। किन्तु इस समय बनाये जाने वाले नक्शों में एक निश्चित उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा दिखाई जाती है जो कि स्पष्ट और यथार्थ है।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार चीन सरकार को, अपने नक्शों में नेपाल और भूटान को अपनी सीमा में दिखाने के कारण विरोध प्रदर्शित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री जवाहर लाल नेहरू उठे––

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न लूंगा।

प्लास्टिक की बनी वस्तुएं

*१६५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष प्लास्टिक की बनी वस्तुएं कितनी मात्रा में विदेशों से मंगाई गई और उनका मूल्य कितना था ;

(ख) भारत में प्लास्टिक बनाने वाले कितने कारखाने हैं ; और

(ग) पिछले वर्ष कितने मूल्य की प्लास्टिक की वस्तुएं तैयार की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५२-५३ में आयात की गई प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का मूल्य ११,३९,००० रुपये है । उसकी मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) लगभग ८० ।

(ग) इस उद्योग में कुल कितना उत्पादन होता है इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु बड़े बड़े कारखानों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार १९५३ में १५० लाख रुपये का माल तय्यार किया गया था ।

श्री रघुनाथ सिंह : गत वर्ष हम ने विदेशों से कितना कच्चा माल मंगाया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास १९५३-५४ के केवल नौ महीनों के आंकड़े हैं और वे निम्न प्रकार है :

कच्चा माल, कृत्रिम राल तथा
ढालने का पाउडर—१,०७,३८,००० रु०.
प्लास्टक की अर्द्धनिर्मित
वस्तुएं—६८,२७,००० रु०

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या हम भारत में उन वस्तुओं को बना सकते हैं जिन्हें हम विदेशों से मंगाते हैं ; और यदि ऐसा है, तो इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्य कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आत्म-निर्भरता का विचार ऐसा है कि उसकी यथार्थ रूप से परिभाषा नहीं की जा सकती । स्वंय संगठित उद्योग में १५० लाख रुपये का माल तय्यार किया जाता है और इस उत्पादन की तुलना में आयात किये गए माल के आंकड़े बहुत ही थोड़े हैं और वह लगभग ११ लाख रुपये है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस प्लास्टिक उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चा माल विदेशों से मंगाना पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय तो प्रायः मंगाना ही पड़ता है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

***१६५४. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री ११ अगस्त १९५३ को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७९ का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम में इंजन तथा बोयलर बनाने के कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : गत अगस्त में जब मैं ने यह प्रश्न पूछा था तो माननीय मंत्री ने बताया था कि इस योजना पर विचार किया जा रहा है । इस मामले पर इतना समय क्यों लिया जा रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह एक अत्यधिक जटिल मामला है । उस उत्तर के दिये जाने के बाद से कुछ और प्रगति हुई है और इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । निकट भविष्य में इस प्रश्न के विभिन्न पहलओं पर विचार करने के लिये योजना आयोग मंत्रालय स्तर पर एक बैठक करने का प्रबन्ध कर रहा है । इसी बीच में, विभागीय स्तर पर आयोजित एक बैठक ने इस प्रश्न से उत्पन्न विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या योजना का वित्तीय पहलू इसके मार्ग में बाधक है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि वित्तीय पहलू इसके मार्ग में बाधक नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि हमें किस आकार का डीज़ल इंजन बनाना चाहिये। इंजन तो अलग अलग हॉर्स पावर के होते हैं। उदाहरणर्थ नौपरिवहन उद्योग के लिये हमें ३,००० हॉर्स पावर के इंजन चाहिये। आरम्भ में इतनी उच्च कार्य क्षमता वाले इंजन नहीं बनाये जा सकते। आरम्भ में तो हम केवल कम हॉर्स पावर के ही इंजन बना सकते हैं। उसके लिये भी प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है इन इंजनों को बनाने से पूर्व हमें तीन अन्य बातों का ध्यान रखना है, और इनकी ओर हमारा ध्यान हाल ही में दिलाया गया है हमारा एक कच्चे लोहे का कारखाना तथा एक इस्पात का कारखाना होना चाहिये और एक लोहारगीरी का कारखाना होना चाहिये। अब एक ऐसा प्रस्ताव है कि ये कारखाने इस्पात संयंत्र के, जिस पर कि सरकार विचार कर रही है, भाग के रूप में होने चाहिये। इसलिये इन सब पहलुओं पर विचार हो रहा है। इसीलिये इस मामले में समय लग रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : जहाजों के लिये इंजनों तथा बॉयलरों के कितने पुर्जे हमने विदेशों से अभी तक मंगाये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बता सकता।

पशुओं का आयात

*१६५५. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में भारत में कितने पशुओं का आयात किया गया;

(ख) यह आयात किन देशों से किया गया ; और

(ग) यह आयात किन प्रयोजनों के लिये किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

(ग) मुख्यतः प्रजनन, चिड़िया घरों में प्रदर्शन और घुड़दौड़ के क्लबों में प्रयोग करने के लिये।

पाकिस्तान से हम कुछ मुर्गियां आदि भी प्राप्त करते हैं।

श्री मुनिस्वामी उठे——

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

बोखारो ताप विद्युत संयन्त्र

*१६५६. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बोखारो ताप विद्युत कारखाने में पैदा की जाने वाली बिजली के उचित वितरण के लिये दामोदर घाटी निगम द्वारा कोई प्रबन्ध नहीं किये गये ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बोखारो बस्ती में भी जो कि बिजली घर के पास है, ११,००० रुपये प्रतिमास के व्यय से कारगाली कोयला खान से बिजली ले कर बिजली लगाई गई है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि वितरण की व्यवस्था में त्रुटियों के कारण, केवल एक टरबाइन काम कर रहा है और शेष दो बेकार पड़े हैं ?

(घ) तीनों टरबाइनों की उत्पादन क्षमता के अनुसार, दामोदर घाटी निगम बिजली के वितरण की उचित व्यवस्था कब कर सकेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) नहीं, श्रीमान । बिजली के वितरण के लिये छोटे स्टेशनों का सामान मिलने में पहले विलम्ब हुआ था, किन्तु अब अधिकांश सामान प्राप्त हो चुका है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दूसरे टरबाइन का कार्य जुलाई १९५४ तक स्थगित करना पड़ा था। इस के कारण प्रश्न के भाग (क) में दिये जा चुके हैं । तीसरे टरबाइन से केवल आवश्यकता के समय काम लिया जायेगा ।

(घ) मार्च १९५५ तक ।

श्री पी० सी० बोस : क्या विभिन्न कारखानों के, जिन में सिन्दरी बिजली घर भी सम्मिलित है, परस्पर सम्बन्ध से पूरी गृह व्यवस्था बन जायेगी ?

श्री हाथी : सिन्दरी बिजली घर और बोखारो बिजली घर गृह द्वारा मिले हुए होंगे ।

श्री मुनिस्वामी : क्या प्राक्कलन समिति ने इस ताप विद्युत कारखाने के बारे में कोई सिफ़ारिशें की हैं और यदि हां, तो क्या उन पर विचार किया गया था ?

श्री हाथी : प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि बोखारो को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये थी ।

श्री बी० के० दास : क्या बिजली की तारें लगाने का काम भी उस अनुपात से बढ़ रहा है जिस अनुपात से बोखारो के कारखाने में बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं ने कहा था, छोटे स्टेशन के लिये सामान लेने में कुछ कठिनाई हुई थी । किन्तु अब बिजली की अधिकांश तारें लगाई जा चुकी हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों के कैम्प

***१६५७. श्री के० आर० शर्मा :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मार्च, १९४८ में स्थानीय लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ था कि १०,८७२ ऊनी कपड़ों और १.५५ लाख रुपये मूल्य की २०,९२६ पौंड कपड़े बुनने की ऊन की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां, किन्तु यह कमी ११,००० कपड़ों और १८,००० पौंड ऊन के आधिक्य से पूरी कर दी गई थी और हानि केवल १८,३०४ रुपये की हुई थी ।

(ख) उस की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं ।

पैंसिल की लकड़ी के टुकड़े

***१६५८. श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में पूर्वी अफ़्रीका से सेराबुड पैंसिल की लकड़ी के टुकड़े कितनी मात्रा में आयात किये गये थे; और

(ख) पैंसिल के कितने कारखाने पूर्ण रूप से कीनिया से आयात किये गये माल पर निर्भर करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) चूंकि लकड़ी के टुकड़ों के आयात के आंकड़े, भारत के विदेशी समुद्र या वायु द्वारा किये गये व्यापार और नौवहन के मासिक लेखों में पृथक रूप से नहीं दिखाये गये, इसलिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कीनिया से आयात किये हुये माल के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

वाशिंगटन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

*१६५१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ११ से २४ फरवरी १९५४ तक सीटल, वाशिंगटन में आयोजित किया जाना है ;

(ख) क्या भारत इस में सम्मिलित होगा; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की वस्तुयें प्रदर्शित की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर :): (क) हां श्रीमान ।

(ख) जी हां ;

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सख्या ५६.]**

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन वस्तुओं को जो वहां प्रदर्शित की गई थीं चुननें के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ? यदि नहीं तो ये वस्तुयें कैसे चुनी गई थीं ?

श्री करमरकर : ये वस्तुयें अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने चुनी थीं । यह एक नियमित रूप से संगठित संस्था है ?

श्री डी० सी० शर्मा : क्या उन दर्शकों की संख्या जानने की कोशिश की गई है, जो वहां हमारी दुकान देखने गये थे ?

श्री करमरकर : जी हां । मोटे तौर पर एक अनुमान लगाया गया था । किन्तु मैं दर्शकों की वास्तविक संख्या नहीं बतला सकता ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह जानने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि वहां प्रदर्शित किये गये माल के सम्बन्ध में लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी ?

श्री करमरकर : जी हां । प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है । कुछ व्यापार सम्बन्धी पूछताछ की गई है ।

श्री एम० डी० राम स्वामी : क्या हाथ-कर्घा के कपड़े वहां प्रदर्शित किये गये थे ?

श्री करमरकर : जी हां । खड्डी से बनाये हुये बेल बूटेदार बनावट वाली चादरें, मेजपोश और परदे के कपड़े, खड्डी के बनाये हुये सजावट के कपड़े, छपी हुई चादरें, सूती कपड़े और साटिन आदि प्रदर्शित किये गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हो चुकी है ।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

चाय का निर्यात

*१६४६. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ और १९५३ में भारत से अमेरिका को कितनी चाय निर्यात की गई थी; और

(ख) क्या चाय की निर्यात का कोई ऐसा संतोषजनक पहलू है जिसे देख कर भारत ने संयुक्त चाय प्रोत्साहन परिषद् को जिस के सदस्य भारत, सीलोन और इन्डोनीशिया हैं, अपना अंशदान बढ़ा दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)

(क) १९५२ लगभग २९० लाख पौंड
१९५३ ,, ३०० लाख पौंड

(ख) अमेरिका की चाय परिषद् लगभग एक वर्ष से काम कर रही है और इस अवधि

में ही उस देश में चाय की खपत काफी बढ़ गई है । इस के अतिरिक्त परिषद् के अन्य सब सदस्यों ने १९५४ के लिये अपना अंशदान बढ़ा दिया है और भारत को भी अपने अंशदान में २५,००० डालर की वृद्धि करनी पड़ी है ।

पारपत्र

३४०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिये पूनिया जिले से कितने व्यक्तियों ने पारपत्रों के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे और कितनों को पारपत्र दिये गये थे ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १०४० व्यक्तियों ने पारपत्रों के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे और ९०१ को ये पारपत्र दिये गये थे ।

काजू के कारखाने

३४१. **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री वी० पी० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ मार्च, १९५४ को भारत में कितने काजू के कारखाने बन्द रहे ; और

(ख) चालू काम के मौसम में इन कारखानों को न खोल सकने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) त्रावनकोर-कोचीन सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग ६६ ।

(ख) इस के बहुत से कारण हैं । ज्ञात हुआ है कि त्रावनकोर-कोचीन के कारखाने बम्बई के आयात करने वालों से आयात किया हुआ कच्चा माल नहीं ले रहे हैं । विदेशों द्वारा की जाने वाली मांग भी कम हो गई जान पड़ती है ।

मोटर गाडियां

३४२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री मोटर कारों के आयात के सम्बन्ध में २४ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३३ का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारी मोटर गाड़ियों, ट्रकों तथा मोटर कारों की (१) भारत सरकार, (२) राज्य सरकारों; तथा (३) निजी लोगों को अपने व्यक्तिगत व्यवहार में लाने अथवा व्यापार सम्बन्धी कार्यों के लिये वार्षिक अवश्यकता ;

(ख) इन आवश्यक्ताओं का कितना प्रतिशत (१) देश में निर्मित माल तथा (२) एकत्रित किये हुये माल में से पूरा हो सका है; तथा

(ग) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में इन आयातों के लिये आवश्यक विदेशी विनिमय की राशि ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में सभी प्रकार की गाड़ियों की कुल मांग का अनमान लगभग २०,००० प्रतिवर्ष लगाया गया है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा निजी व्यक्तियों की मोटर कार की आवश्यकता के संक्षिप्त आंकड़े अलग-अलग नहीं दिये जा सकते ।

(ख) १९५३ में चार निर्माताओं के पुर्जे जोड़ कर बनाई गई ५६१७ मोटरों और ट्रकों की तुलना में जनवरी से नवम्बर १९५३ तक आयात की गई मोटर कारों तथा ट्रकों की संख्या ८४५३ थी । सरकार की नीति सारी मोटर गाड़ियों की मांग की पूर्ति मान्यताप्राप्त निर्माणकर्ताओं द्वारा करने की है ।

(ग) एक विवरण संलग्न किया जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५७**]

निर्यात व्यापार अभिवृद्धि

३४३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के निर्यात व्यापार में अभिवृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वे कार्यवाहियां क्या क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ५८]**

गांव का चमडा उद्योग

३४४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गांव के चमड़ा उद्योग के विकास के लिये चालू वर्ष में कुछ निधि अलग कर दी गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वह राशि कितनी है ; तथा

(ग) उसको किस प्रकार बांटा जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) । विचार किया जाता है कि माननीय सदस्य १९५३-५४ के सम्बंध में निर्देश कर रहे हैं । एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९]**

पटसन (आयात)

३४५. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में पाकिस्तान से आयात की गई भिन्न-भिन्न प्रकार की पटसन की मात्रायें ;

(ख) प्रत्येक प्रकार के लिये दिया गया प्रति टन मूल्य ;

(ग) उसी प्रकार की भारत की पटसन के लिये दिया गया मूल्य उस मूल्य की तुलना में कैसा है ; तथा

(घ) भारतीय मिलों द्वारा क्रय किये गये भारतीय पटसन की योग मात्रा तथा इस काल में उसका भगतान किया गया मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पाकिस्तान से १९५३-५४ के प्रथम ११ महीनों (अप्रैल १९५३ से फरवरी, १९५४ तक) में कच्चे पटसन की आयात की गई योग मात्रा १३·२३ लाख गांठें थीं जिनमें से प्रत्येक गांठ का भार ४०० पौण्ड था । इसमें विभिन्न ग्रेडों के विभाजन के विस्तार पूर्वक आंकड़ों का रेकार्ड सरकार के पास नहीं है ।

(ख) मूल्यों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) भारतीय पटसन मिल संस्था की सदस्य मिलों ने १९५३-५४ के प्रथम ११ महीनों (अप्रैल १९५३ से फरवरी, १९५४ तक) में भारतीय पटसन की कुल ३८·४४ लाख गांठें क्रय की थीं । वास्तव में कितना मूल्य दिया गया इसके विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

चाय बोर्ड

३४६. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय चाय बोर्ड के बन जाने के बाद से चाय के आन्तरिक तथा बाह्य उपभोग में उन्नति करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न

किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ६०**]

पशुओं की खालों का निर्यात

३४७. श्री अमजद अली : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गाय तथा भैंस की कच्ची खालों के निर्यात पर १९४९ में कोई प्रतिबन्ध लगाया गया था ;

(ख) यदि ऐसा है तो किस अथवा किन देशों के लिये ;

(ग) इस से व्यापारिक स्थिति के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा ; तथा

(घ) १९४९ में भारतीय निर्यात पर प्रतिबन्ध लगने के बाद से पाकिस्तान से आयात की गई इन दोनों प्रकार की खालों की मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रतिबन्ध ४ अप्रैल, १९५१ को लगाया गया था जो अभी तक जारी है।

(ख) सभी गन्तव्य स्थानों के लिये।

(ग) चूंकि खालों के निर्यात पर सदैव नियन्त्रण रहा है तथा यह निर्यात मूल वर्ष की उत्पत्ति का १५ प्रतिशत रहा है, अत: व्यापारिक स्थिति के सन्तुलन पर इसका प्रभाव नगण्य रहा है।

(घ) एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६१**]

भारतीय चाय प्रसार बोर्ड

३४८. श्री रामानन्द दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय चाय बाज़ार प्रसार बोर्ड द्वारा देश में तथा देश के बाहर चाय के उपभोग के लिये प्रचार में व्यय की गई वार्षिक योग राशि ;

(ख) भारत में तथा भारत के बाहर के ऐसे व्ययों का ब्यौरा ; तथा

(ग) अमरीका की चाय परिषद् तथा अन्य देशों में काम में लगाये गये भारतीयों की संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२**]

(ग) अब तक चाय की उन्नति के लिये अमरीका तथा जर्मनी में संस्थायें स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें से किसी भी संस्था में किसी भारतीय को काम में नहीं लगाया गया है।

संगमरमर

३४९. श्री बलवन्त सिंह महता : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश की संगमरमर की चट्टानों का पूर्ण उपभोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि ऐसा है तो देश की उपभोग मात्रा की कितनी पूर्ति इससे होती है और कितनी आयात के द्वारा ;

(ग) क्या कुछ मात्रा निर्यात भी की जाती है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो कितनी मात्रा किस मूल्य पर तथा किस प्रकार की निर्यात की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क), हां, श्रीमान्, यथासम्भव सीमा तक।

(ख) लगभग ५० प्रतिशत देश के साधनों से तथा ५० प्रतिशत आयात के द्वारा।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) आयात किये गये संगमरमर की किस्म के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु पिछले तीन वर्षों में निर्यात किये गये पत्थरों तथा संगमरमर की मात्रा तथा मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]**

समाज शिक्षा

३५०. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **योजना** मंत्री २५ मार्च, १९५४ को समाज शिक्षा संगठन कर्ताओं के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९६ के उत्तर का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आन्ध्र राज्य के कितने प्रशिक्षार्थियों ने समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण का शिक्षा-क्रम समाप्त कर लिया है ;

(ख) शिक्षा का माध्यम ;

(ग) उनमें से अनुसूचित-जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या ; तथा

(घ) स्त्री-प्रशिक्षार्थियों की संख्या ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ११ समाज संगठनकर्ता तथा २ प्रमुख समाज शिक्षा संगठनकर्ता ।

(ख) अंग्रेज़ी ।

(ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) एक समाज संगठनकर्ता तथा क प्रमुख समाज शिक्षा संगठनकर्ता ।

Par. S. 18. III. 40 54.
285

अंक ३ | बुधवार
संख्या ४० | ७ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

---:०:---

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ६१—सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय	[पृष्ठ भाग २९४५—२९८४]
मांग संख्या ६२—सिंचाई (कार्यवहन व्यय समेत) नौपरिवहन, बंध तथा जल निस्सारण योजनाएं (राजस्व से देय)	[पृष्ठ भाग २९४५—२९८४]
मांग संख्या ६३—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं	[पृष्ठ भाग २९४५—२९८४]
मांग संख्या ६४—सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	[पृष्ठ भाग २९४५—२९८४]
मांग संख्या १२८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग २९४५—२९८४]
मांग संख्या १२९—सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग २९४५—२९८४]
मांग संख्या ५९—सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	[पृष्ठ भाग २९८४—३०२०]
मांग संख्या ६०—प्रसारण	[पृष्ठ भाग २९८४—३०२०]
मांग संख्या १२७—प्रसारण पर पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग २९८४—३०२०]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली ।

82 PSD

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

बुधवार, ७ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

२-५७ म० प०

अनुदानों की मांगें—क्रमागत

मांग संख्या ६१, ६२, ६३, ६४, १२८ और १२९

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा करेगा।

श्री एस० सी० देव (कचार—लुशाई पहाड़ियां) : केन्द्रीय जल विद्युत् सिंचाई तथा नौतरण आयोग ने १९४८ में बारक नदी घाटी परियोजना को द्वितीय प्राथमिकता दी थी और उसमें दिहंग, बारक, मानस और सोमेश्वरी चार नदी-घाटी परियोजनाओं की सिफ़ारिश की थी, और खोसला समिति ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए उस में से दो चुनी थीं। परियोजनाओं के लिए १९४८ में बनी तदर्थ समिति ने विगत युद्ध और विभाजन के कारण आसाम के लिए औद्योगिक विकास को विशेषित

अपेक्षित बताया था। बारक के बारे में उसने बताया था कि बाढ़ नियंत्रण के साथ ही सुरमाघाटी की जमीन का सुधार किया जा सकेगा और सिब्रपुरीखल के पास बनाने से २९० हजार और भूबंदर के पास बनाने से २२५ हजार किलोवाट तक बिजली पैदा की जा सकेगी। इस से मनीपुर, त्रिपुरा, लुशाई पहाड़ियों और कचार जिलों को लाभ पहुंचेगा। वहां दो लाख विस्थापित व्यक्ति हैं और २०,००० छंटनी किए गये चाय मजदूर। इन को रोजगार मिल सकेगा और सीमा के इस प्रदेश का विकास हो सकेगा।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

उस अलंघ्य प्रदेश में इन सब कारणों से ही उक्त समिति ने इसे द्वितीय प्राथमिकता दी थी।

माननीय वित्त मंत्री के भाषण में कपिली (नौगांव) और पगलादिया (मापरूप) नदियों के बारे में होने वाली पड़ताल का तो उल्लेख किया गया था, पर बारक का नहीं। मैं चाहता हूं कि इसे उचित महत्व दिया जाए, और मैं आश्वासन चाहता हूं कि इसे छोड़ न दिया जाए। इस पंचवर्षीय योजना में इसके लिए जाने के पक्ष में जनमत बड़ा उग्र है, अतः आशा है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मुझे आशा है कि बड़ी दिहंग नदी (डिब्रूगढ़) को

[श्री एच० सी० देव]

द्वितीत पंचवर्षीय योजना में अवश्य लिया जाएगा। उसमें आने वाली बाढ़ से भी बड़ी हानि होती है। भारत में सभी जानते हैं कि आसाम सदैव बाढ़-ग्रस्त रहता है। अतः राज्य सरकार के कुछ न करने पर भी केन्द्रीय सरकार को प्रारम्भ करना चाहिए, तभी कुछ हो सकेगा। उस राज्य के विकास के लिए ऋण आदि के रूप में भी पर्याप्त अनुदान दिए जाने चाहिएं। आशा है, इन सब बातों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : यदि विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में तेजी से काम किया जाय, तो काफी बचत हो सकती है। पहले सुगठित योजना बना लेने से भी बचत होती है। बहुत अधिक लोगों से परामर्श लेने के कारण भी देर और गड़बड़ी होती है और कार्यक्रमों, डिजाइनों आदि को बारम्बार बदलने से बचत भी नहीं होती। दामोदर घाटी निगम को ही लें, परामर्शदाता-इंजीनियर, निर्माण-इंजीनियर, ठेकेदारों के इंजीनियर हैं और विदेशी परामर्शदाता आदि भी हैं, परन्तु कोई एक मुख्य कार्यकारी व्यक्ति नहीं है और निगम में कोई अनुशासन नहीं है। प्राक्कलन समिति के एक ज्येष्ठ सदस्य के, जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं, पूछने पर वहां लोगों ने सूचना नहीं दी और सारांशतः यही कहा कि आपको क्या मतलब ? तो क्या कुछ सूचना मांगना भी बुरा है, और क्या वह संसदीय नियन्त्रण से बहिर्गत है ? मेरा आग्रह है कि वित्त मंत्री इस बात पर पूरा ध्यान दें।

फिर हमें ये ही दो-चार नदी घाटी परियोजनाएं पूरी नहीं करनी हैं, अतः भविष्य के लिए हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि कौनसी व्यवस्था कार्य-निष्पादन में विशेष उपयुक्त रहती है। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी योजनाएं बनाने और उनको समय से पूरा न कर पाने से तो अच्छा यही है कि पहले, छोटी-छोटी योजनाएं बनाई जाएं और जनता की आलोचना से बचा जाए। छोटी-छोटी योजनाएं समय पर पूरी की जा सकती हैं। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए, जो फलीभूत न हो सके। आप पांच वर्ष निश्चित करके उस समय को चार वर्ष में पूरा कर दिखाएं, तब तो आप प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, और यदि आप चार वर्ष निश्चित करके ५-६ वर्ष में उसे पूरा करते हैं, तो आप आलोचना के पात्र बनते हैं। जब हम निश्चित कर लें कि हमें इतने समय में यह काम करना है, तो फिर तेजी से काम करके हमें वह उतने समय में पूरा कर देना चाहिए। यद्यपि जल्दी के नाम पर डिजाइन आदि का बनाना तक छोड़ देना तो ठीक नहीं है, परन्तु प्रत्येक कार्य की एक निश्चित समयावधि होनी चाहिए और हमें अपने देशभक्त कर्मचारियों से आशा है कि वे उतने समय में वह काम पूरा कर दिखाएंगे। जनमत, मंत्रिगण और हमारी ओर से जोर पकड़ने पर काम निश्चय ही तेजी से होगा। हमारे मजदूर किसी से पीछे नहीं हैं, और वे उन परिस्थितियों में अच्छा काम करके दिखा सकते हैं जिन में एक यूरोपीय मजदूर काम करने से इन्कार कर देगा।

दूसरे हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं। हमें एक रुपये से दस रुपये का काम लेना

चाहिए और एक गरीब व्यक्ति के निकट एक रुपये का जितना मूल्य और महत्व होता है हमारे इंजीनियरों और अधिकारियों को एक-एक रुपये को उतना महत्व देना चाहिए। परन्तु खेद है कि हमारे पदाधिकारी ऐसा नहीं सोचते। हीराकुड समिति के प्रतिवेदन से मैं भी सम्बद्ध था। उस की सिफारिशें मानी गईं थीं और तदनुसार बताया गया था कि सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, परन्तु मैं देखता हूं कि वह व्यक्ति सहायक सचिव से अवर सचिव बन गया है। आप लिखते हैं कि कार्यवाही की गई हैं, परन्तु उसे अन्यत्र अच्छा स्थान दे दिया जाता है। इस से बुरा प्रभाव पड़ता है। माननीय मंत्री को ये सब बातें मालूम होंगी या होनी चाहिएं। और भी बहुत सी बातें हैं, पर मैं समयाभाव से उन सब को न ले सकूंगा। आशा है माननीय मंत्री उन सिफारिशों के विवरणों को देखेंगे और उन्हें कार्यान्वित करवाएंगे। तभी स्थिति सुधरेगी। हम सब यही चाहते हैं कि काम तेजी के साथ हो और बचत के साथ हो।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : भाखड़ा नंगल परियोजना में तथा प्रारम्भिक कठिनाइयों और निराशाओं के बाद दामोदर घाटी योजना में भी अब हुई प्रगति से मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। परन्तु माननीय मंत्री के वक्तव्य में हमारे राज्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया। या तो हमारे यहां कोई परियोजना नहीं है, या है भी तो विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। पेरियार और कुंडा योजनाओं के लिए हमने गत वर्ष शिष्ट मंडल भेजा था। पहली परियोजना योजना-आयोग ने मंजूर भी कर ली है, पर वह कब शुरू की जाएगी? इसे शुरू करने में देर क्यों हो रही है? त्रावनकोर-कोचीन राज्य पेरियार के पानी के लिए रायल्टी मांग रहा है, और मद्रास सरकार इसके लिए सहमत नहीं है। माननीय मंत्री मद्रास सरकार से आगे बढ़ने को कह दें और रायल्टी के झगड़े पर वह बाद में अपना मध्यस्थ-निर्णय दे सकते हैं। इस योजना को कार्यान्वित किए बिना हमारे राज्य की भीषण बेरोजगारी कम नहीं हो सकती।

योजना-आयोग ने कुंडा योजना का पुनरीक्षण चाहा था। मद्रास सरकार ने वह करके भेज दिया है। बिजली आयोग इसका परीक्षण करेगा और तब यह पुनः योजना-आयोग के सामने आएगा। मंत्री जी ने बताया था कि प्राथमिकता समिति इस पर विचार करेगी, परन्तु इससे विशेष देर होगी क्योंकि यह समिति दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए है। मद्रास सरकार इस पर ११८ लाख रुपये खर्च करने को तैयार है, और काम शुरू करने के लिए केन्द्र की अनुमति चाहती है।

मद्रास में बिजली की बहुत मांग है और इन दोनों योजनाओं के पूरा होने पर भी यह पूरी न होगी। हम कुछ योजनाओं का परीक्षण कर चुके हैं और आप की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तर भारत में बिना परीक्षण की योजनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं। जैसे कोदना और रिहंद बंबई और उत्तर प्रदेश के शोर मचाने पर पीछे से पहली पंचवर्षीय में जोड़ दी गईं। पर हम मद्रासवासी शोर नहीं मचाते हैं। आशा है कुंडा परियोजना तुरंत मंजूर की जाएगी और मद्रास सरकार से इसे तुरंत शुरू करने के लिए कहा जाएगा। मद्रास ने अगली पंचवर्षीय योजना में बिजली के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है।

[श्री नटेशन]

केवल यही दो परियोजनाएं हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अब इनमें देर नहीं होनी चाहिए।

मद्रास में सिंचाई की कोई बड़ी योजना नहीं है। सथानूर और कृष्णगिरि की सिंचाई योजनाएं सरकार के सामने आएंगी। कृष्णगिरि के लिए १९५४-५५ में २० लाख और १९५५-५६ में ४० लाख तथा सथानूर के लिए १९५४-५५ में ३० लाख १९५५-५६ में ६० लाख रुपयों की आवश्यकता होगी। सरकार ने अमरावती और वैगाई परियोजनाओं में हमें विशेष सहायता दी है। अब इन दोनों परियोजनाओं को भी ले लेना चाहिए। इन दोनों पर १५० लाख रुपये व्यय होंगे कृष्णगिरि से ७५०० एकड़ और सथानूर से २०,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी। ये सब पिछड़े तथा अभाव वाले क्षेत्र हैं। हम आप से केवल १५० लाख रुपये के ऋण की मांग कर रहे हैं। जो अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं है।

प्रधान मंत्री चाहते हैं कि हम अपने निर्वचन-मंडल से संपर्क रखें, परन्तु आप १५० लाख का ऋण दे कर इन सिंचाई योजनाओं तक को कार्यान्वित नहीं करा रहे हैं। जिससे हम जनता से कह सकें कि योजना में उसके लिए बहुत कुछ हो रहा है। वह नहीं जानती कि भाखड़ा और रिहंद क्या हैं और कहां हैं। हमारे यहां दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कोई बड़ी योजना नहीं है। अतः इन योजनाओं को तो मंजूर कर ही लेना चाहिए।

श्री बूबराघसामी (पेराम्बलूर) : श्रीमान्, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह भली भांति व्यक्त किया गया है कि योजना का क्षेत्र के तथा उद्देश्य सब से कम विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए देश के संसाधनों को जुटाना है। उद्देश्य अच्छा है तथा यह भी स्पष्ट हो गया है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए हमारे संसाधन पर्याप्त हैं। परन्तु विगत चार वर्षों में कुछ उन बहुमुखी योजनाओं के अतिरिक्त, जो केन्द्र ने आरम्भ की थीं, राज्यों पर छोड़े गए कामों में तनिक भी प्रगति नहीं हुई है।

मैं दक्षिण भारत का रहने वाला हूं। पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने की योजना की भावना का मेरे राज्य ने लाभ नहीं उठाया है। अतः तामिल नाद के विशालतम क्षेत्रों का योजना में उल्लेख नहीं है और इसलिए वहां के लोगों को कोई भी सहायता नहीं दी जा सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि अब माननीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सदन के सदस्यों से मन्त्रणा की है।

मैं अपने आपको अपने निर्वाचन-क्षेत्र के एक मामले तक ही सीमित रखना चाहता हूं। इस संबंध में एक अप्रैल १९५४ माननीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। हम सब को तथा उन्हें भी मद्रास राज्य की स्थिति का ज्ञान है। सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी व्यक्ति तथा प्रशासी अधिकारी 'विश्वास प्रस्ताव' जैसी बातों में लगे रहे और इस प्रकार के रचनात्मक तथा राष्ट्र निर्माण कार्य पर ध्यान नहीं दे सके। अतः यदि योजना की भावना को कार्यान्वित करना है तो केन्द्र को राज्यों की औपचारिक प्रस्वीकृति

तथा सिफ़ारिशों पर निर्भर रहने की बजाये स्वयं आगे पग बढ़ाना चाहिए ।

मैं तिरुचिरापल्ली ज़िले में पेराम्बलूर निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र पिछली कई शताब्दियों से कमी तथा दुर्भिक्ष का शिकार रहा है । १९५२ में, जबकि लोगों को पीने के पानी के लिए भी मीलों चलना पड़ता था, इस मामले की गम्भीरता महसूस की गई थी। यहां की धरती बड़ी उपजाऊ है और यदि सिंचाई की उचित सुविधाएं प्राप्त हों तो उत्पादन डेल्टा क्षेत्रों के उत्पादनों से दुगना तिगुना अधिक होगा। यह क्षेत्र कावेरी नदी से मिला हुआ है। इस क्षेत्र में कृषि तथा पीने के लिए पानी एकत्रित करने के लिए हज़ारों जलागृह हैं। इन स्थितियों की दृष्टि से यह सम्भव है कि सिंचाई की स्थायी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लोक संस्करण के प्राप्य आंकड़ों के अनुसार कावेरी नदी का केवल ६० प्रतिशत जल सिंचाई के काम आता है। और शेष सागर में बह जाता है। विशेषतः वर्षा ऋतु में कावेरी का अधिकतर पानी सागर में बह जाता है। अतः मेरा सुझाव है कावेरी नदी से नहर निकाली जा सकती है तथा इन क्षेत्रों को पानी ले जाया जा सकता है।

सेलम तथा तिरुचिरापल्ली ज़िलों की सीमाओं के बीच कावेरी नदी मोहनूर स्थान पर ऊंचाई पर बहती है। इस स्थान से एक नहर पूर्व की ओर को निकाली जा सकती है। यह मेतुपलायम, थुरैपुर, पराम्बलूर, अरेयालुर, तथा तिरुचिरापल्ली ज़िले में उदमारापलायम होकर जायगी। इस नहर के द्वारा वर्षा ऋतु में सागर में बहने वाला अधिक पानी डेल्टा क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किये बिना इस क्षेत्र को लाया जा सकता है। इस नहर की लम्बाई लगभग सौ मील होगी।

सम्पूर्ण योजना पर कुछ करोड़ रुपये व्यय होंगे परन्तु इससे सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। योजना को कार्यान्वित करने से लगभग ५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है तथा उस क्षेत्र के सारे व्यक्तियों को पीने का पानी भी मिलेगा। सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र का उत्पादन इतना होगा कि तामिलनाद की पूर्ण खाद्य समस्या सुलझ जायेगी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है और उत्पादन अच्छा होगा फिर कठिनाई क्या है? मुझे आशा तथा विश्वास है कि सरकार दक्षिण भारत के लोगों को कुछ सहारा देने में न हिचकिचाएगी।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है उसके वास्ते इर्रीगेशन और पावर का सवाल बहुत अहम है। उसमें कभी सूखा पड़ती है कभी बाढ़ आती हैं। इस वजह से हमेशा तबाही रहती है। लेकिन जो हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है उसके सम्बन्ध में जो डैम्स बनाये जा रहे हैं उनसे पानी का प्रबन्ध किया जायेगा उन इलाकों के वास्ते जिनमें पानी कम बरसता है और सूखा पड़ती है उनमें इन डैम्स से पानी पहुंच सकेगा और जिन स्थानों में बाढ़ें आती हैं उन को रोका जायगा और जिन देहातों में और शहरों में पावर की जरूरत हैं वहां वह आसानी से मिल सकेगी। इन डेम्स के बनाने में इस साल लगभग ६० करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन बहुत सी रिपोर्टों को देखने से, जैसे हीराकुड

[सेठ अचल सिंह]

दामोदर वैली या भाखरा, ऐसा मालूम होता है कि इनमें पैसे का काफ़ी दुरुपयोग होता है । खुशी की बात है कि अब यह विभाग एक अलग मिनिस्ट्री के तहत में आ गया है इसलिए आशा है कि काफी देख भाल हो सकेगी साथ साथ इस बात की आवश्यकता है कि काफी तवज्जह दी जाय ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो और फ़िजूलखर्ची न की जावे ।

मैं एक खास मसले की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आगरा और मथुरा यू० पी० के दो ऐसे जिले हैं जो कि राजस्थान के बार्डर पर वाकै हैं । यहां पर रेगिस्तान बढ़ता जाता है और यहां पर पानी की बहुत कमी है। इस साल आगरा में केवल १६ इंच और मथुरा में १२ इंच पानी कम पड़ा है इसलिए दोनों फसलें खराब हो गयीं । नहरों में जो पानी आता है वह बहुत नाकाफी आता है और इससे काश्तकारों को बड़ी शिकायत रहती है और वह कहते हैं कि हमारी फसलें सूख जाती व खराब हो जाती हैं । जब तक इन दोनों ज़िलों में नहरों द्वारा काफी पानी का प्रबन्ध नहीं किया जायगा और ट्यूब वैल्स का इंतज़ाम नहीं होगा और बांध वगैरह नहीं बांधे जायेंगे उस वक्त तक पानी की कमी दूर नहीं हो सकती है ये दोनों जिले फूड के मामले में डैफीसिट यानी कमी वाले ज़िले हैं । अगर यहां पानी का प्रबन्ध हो जाये तो ये सरप्लस हो सकते हैं । अफसोस की बात है कि जमना से जो आगरा कैनाल आती है उसमें पानी बहुत कम आता है । ज्यादातर पानी पंजाब स्टेट ले लेती है । जो कुछ पानी ईस्टर्न आगरा कैनाल और वेस्टर्न जमना कैनाल में आता है वह हिंडन और गंगा से मिलता है । इसलिए पानी की कमी रहती है । पंजाब में काफी पानी है और साथ साथ भाखरा और नांगल डैम बन गये हैं और इससे वहां पानी की काफी इफरात हो जायगी । भाखरा के बनने से १५०० क्यूसेक्स पानी बचेगा । अगर वह पानी हमको दे दिया जाय तो इससे हमारी कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है ।

इसके अलावा हमने दो तीन साल हुए कि हमने दिल्ली में एक एग्जिब्हीशन में देखा था कि चम्बल स्कीम के द्वारा धौलपुर तक पानी लाया जायगा । लेकिन अब हमको मालूम हुआ है कि वह पानी कोटा से सिर्फ तीस मील तक ही आवेगा जब मध्य भारत में गंगा सागर से दो सौ मील तक पानी आ सकता है तो यहां धौलपुर तक क्यों नहीं आ सकता । पहले इंजीनियरों ने बतलाया था कि चम्बल का पानी धौलपुर तक आ सकता है लेकिन अब इंजिनीयर कहते हैं कि वह अनइकानामिक होगा । समझ में नहीं आता कि किस तरह से एक बार इंजिनीयर एक तरह की राय देते हैं और दूसरी बार दूसरी तरह की राय देते हैं । मेरा सुझाव है कि जिन इंजिनीयरों ने पहले स्कीम बनायी थी उनसे पूछा जाय कि वह किस तरह से धौलपुर तक पानी लाना चाहते और जिन इंजिनीयरों की अब दूसरी राय है उनसे पूछा जाय कि उनकी इस राय का क्या कारण है । अगर धौलपुर तक पानी आ सके तो वह आगरा जिले में फतेहाबाद और बाह तहसीलों तक आ सकता है जहां पर कि पानी का कोई सहारा नहीं है । इस

तरह से पानी की कमी दूर हो सकती है। जब हम अपनी कान्स्टीट्यूएंसी में जाते हैं तो किसान बुरी तरह पेश आते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं कि हमसे कैनाल चार्जेज तो लिए जाते हैं लेकिन पानी यहां पर काफी नहीं दिया जाता है। आगरा जिले को १८०० क्यूसेक्स पानी मिलता है जो बहुत नाकाफी है। अगर इससे दूना पानी हो जाय तो यह कमी पूरी हो सकती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि आगरा और मथुरा की समस्या एक खास समस्या है। उस पर विचार करके वे इस पानी की समस्या को हल करें क्योंकि पानी के बगैर फसलें बहुत खराब हो जाती हैं और इससे वहां काफी नुकसान होता है। जब तक पानी के इस मसले पर पूरा ध्यान नहीं दिया जायगा यह कठिनाई दूर नहीं हो सकती है।

साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आगरा जिले में ट्यूबवैल्स बनाये जायें, बांध बांधे जायें और मेसनरी वैल्स के लिए तकावी दी जाय। अगर यह प्रबंध किया जायगा तो मैं आशा करता हूं कि वह पानी की कमी पूरी हो जायगी। अगर इस पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी इस पर विचार नहीं किया गया तो काफी परेशानी हो सकती है।

इसके इलावा मैं चाहूंगा कि पंजाब में जो किसाऊ डैम का सर्वे किया जा रहा है उससे भी हमको पानी दिया जाय। उससे हमको पानी मिल सकता है। यह जो पंजाब में डैम का सर्वे हो रहा है इसके जरिये यू० पी० के कुछ जिलों को भी पानी पहुंचाया जा सकता है जैसे सहारनपुर से इटावा तक, और उन जिलों की पानी की कमी पूरी हो सकती है। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ इंजिनीयर्स से बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि इसमें करीब ३० करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कहीं ज्यादा फायदा होगा और हमको यू० पी० पश्चिमी जिलों के वास्ते पानी मिल सकेगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो सर्वे हो रहा है इसमें सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव तो रहेंगे ही लेकिन साथ साथ इसमें यू० पी० के भी रिप्रेजेंटेटिव रखे जायें ताकि जो व्यवस्था हो उसमें यू० पी० को भी पानी मिल सके। अगर यह हो जाय तो मुझे आशा है कि आगरा और मथुरा जिलों और यू० पी० के दूसरे जिलों में जहां कि पानी की कमी है वह कमी पूरी हो सकती है।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) : पंचवर्षीय योजना के पर्यालोकन से कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि लगभग विकास संबंधी कार्यक्रम के प्रत्येक अंग में त्रुटियां हैं। योजना के पर्यालोकन में कहा गया है कि १९५२-५३ के वर्ष में विकास कार्यक्रमों पर लगभग २८६ करोड़ रुपये व्यय हुए। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया कि वास्तविक व्यय केवल २७१ करोड़ है। यह आश्चर्यजनक बात है कि कई मास व्यतीत हो जाने पर भी योजना आयोग को १९५२-५३ के वास्तविक व्यय का पता नहीं है। योजना में १९५२-५३ के लिए अधिक भूमि का क्षेत्रफल १९ लाख एकड़ दिया है परन्तु प्रगति प्रतिवेदन से हमें पता चलता है कि केवल १५ लाख एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत लाई गई। जहां तक विद्युत का सम्बंध है, इस विषय में वास्तव में लक्ष्य की अपेक्षा कुछ

[श्री सी० आर० चौधरी]

अधिक प्राप्ति हुई है। परन्तु वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं है कि १५ लाख एकड़ भूमि को पानी दिया जाता है या नहीं और इसी तरह यह स्पष्ट है कि विद्युत से किन किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है ।

ऐसी परिस्थितियों में मेरी समझ में नहीं आता कि विकास योजनायें कैसे आगे बढ़ रही हैं । उदाहरण के लिए, मयुराक्षी परियोजना को लीजिये । यह पूर्ण हो गई है । परन्तु इस परियोजना के पानी का उपभोग किसान लोग, नहीं कर रहे हैं । कारण यह कि पानी की दर अधिक है । दूसरा उदाहरण तुगंगद्रा परियोजना का लीजिए । जलाशय में जल है और यह आशा है कि निम्न स्थल नहर से लगभग ५०,००० एकड़ जलाधिक्य भूमि तथा २ लाख एकड़ सूखी भूमि की सिंचाई होगी । परन्तु वास्तविक प्रगति बहुत थोड़ी हुई है । मुझे सन्देह है कि योजना के पर्यालोकन में जिस १५ लाख एकड़ भूमि का उल्लेख है उन में ये आंकड़े भी सम्मिलित न हों । मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वे त्रुटियां जो आजकल हो रही हैं, तथा भ्रमोत्पादक वक्तव्य जो समय समय पर दिए जाते हैं, प्रोत्साहित न किए जाएं । लोगों को--विशेषकर इस सदन को--योजना की प्रगति की वास्तविक स्थिति से अवश्य भिज्ञ किया जाए ।

जिस समय हमने आन्ध्र राज्य को पृथक करने के लिये आन्दोलन किया था उस समय आन्दोलन का मुख्य कारण यह था कि अविभक्त मद्रास राज्य आन्ध्र क्षेत्र की उपेक्षा करता था इसके अतिरिक्त मद्रास राज्य कृष्णा घाटी के व्यक्तियों के हितों का ध्यान न रखते हुए कृष्णा -नदी का पानी दक्षिण को ले जाने की एक योजना बना रहा था । इसी मुख्य कारणवश हमने अपने लिए पृथक राज्य की मांग की । आन्ध्र राज्य के पृथक होने के पश्चात भी, यद्यपि खोसला समिति ने कृष्णा नदी की परियोजना की सिफ़ारिश की थी, तथा नदी कोडा परियोजना को सर्वोत्तम माना गया था, फिर भी, पग पग पर योजना को गिराने के प्रयत्न किए गए थे । यद्यपि खोसला समिति का प्रतिवेदन हैदराबाद सरकार ने स्वीकार कर लिया था परन्तु उसे जांच के लिए फिर लौटा दिया गया । अब दायें ओर की नहर शीर्षक के अन्तर्गत मामला फिर जांच के लिए भेजा गया है । मैं नहीं जानता कि यह सब चम्बल परियोजना के सम्बन्ध में क्यों नहीं किया गया । जबकि सयुक्त प्रतिवेदन है तो चम्बल परियोजना जैसी कार्यवाही कृष्णा परियोजना के सम्बन्ध में क्यों न की जाए । ऐसी परिस्थितियों में मैं यह कहूंगा कि यह पहले की भान्ति उपेक्षा को जान कर चालू रखने के अतिरिक्त और कोई बात नहीं है ।

श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सभापति के प्रति, जो परियोजना का स्थानीय अध्ययन करने के लिये गये थे, और जिन्होंने परियोजना की अच्छाइयों तथा बुराइयों का अध्ययन किया था । कृतज्ञता प्रकट करता हूं । उन्हों ने कहा था कि कृष्णा नदी पर यह सर्वोत्तम परियोजना है तथा तुरन्त ही कार्यान्वित होनी चाहिए । श्रीमान्, मुझे आशा है कि केन्द्रीय प्राधिकारी कृष्णा नदी पर इस परियोजना के कार्य को स्वयं तथा इसी वैत्तिक वर्ष में आरम्भ करेंगे ।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुजफ्फरपुर-पूर्व) : सभापति महोदय, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उस के पहले श्री नन्दा साहब और उन के साथी हाथी साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन के अफसरान और इंजीनियर्स इतने बड़े काम को बड़े सुन्दर तरीके से कर रहे हैं । किसी बात की नुक्ता चीनी करना आसान है, और जो काम होता है उस में बहुत गल्तियां होती होंगी इस को भी मैं मानता हूं, लेकिन यह बात मानना पड़ेगी कि उन लोगों की तरफ से उन गल्तियों को ठीक करने की भी कोशिश होती रही है, और इसी लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय कि कौन अफसर कहां डिग्रेड हुआ, और कौन बहाल हुआ, कहां क्या हुआ और कहां क्या नहीं हुआ, इस बड़ी चीज को बड़े दिमाग से और ठण्डे दिल से देखना चाहिए, तभी इस काम का फायदा है और जो इंजीनियर और मजदूर काम करने में वहां लगे हैं उन में भी हिम्मत होगी और वह समझेंगे कि पार्लियामेन्ट उन के इस काम की बहुत सराहना करती है ।

इन बातों को कहने के बाद मैं श्री नन्दा साहब का ध्यान बिहार और यू० पी० के उन हिस्सों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां पर गंडक या गंडक से सम्बन्धित अन्य नदियां बह रही हैं । बिहार गवर्नमेंट ने इस के लिए एक गंडक प्रोजेक्ट बनाया है जिस से मुजफ्फरपुर के दो सबडिवीजन सदर और हाजीपुर चम्पारन और सारन, इन तीन स्थानों में—जिलों में—इतनी उपज बढ़ सकती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए, तो बिहार का सूबा अन्न के लिए सेल्फ सफ़िशियेन्ट (अपने पर निर्भर) हो सकता है । अभी मेरे सूबे और बंगाल में दामोदर वैली प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, और काफी अच्छा काम किया जा रहा है । कोसी पर भी, कल नन्दा साहब ने हमें बताया, क्या हो रहा है और आगे वह क्या करने जा रहे हैं । इस के लिए मैं उन का बड़ा कृतज्ञ हूं । बिहार गवर्नमेन्ट ने जो गंडक प्रोजेक्ट की स्कीम बनाई है उस में भी हमें उन से मदद चाहिए । मुझे यह मालूम है कि जाबता तौर से कोई स्कीम अभी उन के पास नहीं आई है लेकिन आप को और आप के अफसरान और इंजीनियर्स को पता है कि वह प्रोजैक्ट क्या है । चूंकि मेरे दिमाग में, प्लैनिंग कमिशन किस तरह से काम करता है और आप की मिनिस्ट्री से उस के क्या ताल्लुकात हैं, इस के डिटेल्स (विवरण) पूरे रूप से नहीं हैं, इस लिए मैं अधिक कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आप की दिक्कतों को मैं समझता हूं । मगर अगली पंचवर्षीय योजना जो आप बनाने जा रहे हैं, अगर उस में आप इस को शामिल कर लें और हमें और हमारी बिहार गवर्नमेन्ट को अभी से आप कह दें, तो मैं समझता हूं कि इस में पेचीदगियां हैं, दिक्कतें हैं, और किसी भी प्लैन या स्कीम में जो कि आगे आने वाली है, अभी से अपना वचन दे देना जरा मुश्किल है, लेकिन जो वहां के हालात हैं उन में आप को इस टेकनिकल दिक्कत को एक हद तक नज़र अन्दाज़ करना होगा । अगर आप यह कर दें तो बिहार गवर्नमेन्ट अभी फिलहाल बरस दो बरस इस के लिए तैयार है कि जहां तक हो सके इस स्कीम को वह अपने रुपये से या जनता से कर्ज ले कर आगे बढ़ाये । सेन्टर से स्माल सेविंग्स ड्राइव में बिहार गवर्नमेन्ट से दो करोड़

[श्री ए० पी० सिन्हा]

रुपया इकट्ठा करने के लिए कहा गया था । हम ने उस में ढाई करोड़ रुपया जमा किया । यहां से हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी कर के कहा कि बिहार सरकार ने जो दो करोड़ के ऊपर ५० लाख रुपया जमा किया है, उस को वह बिहार के डेवेलपमेन्ट में लगा सकती है । इस समय देशमुख साहब यहां नहीं हैं, मैं नन्दा साहब की मारफत उन से अपील करूंगा कि अगर वह ५० लाख रुपये के बजाय पूरा ढाई करोड़ रुपया हमारे यहां छोड़ दें तो हम इस गंडक प्रोजेक्ट के काम को शुरू कर सकते हैं । इस रकम के मुतालिक वह चाहे जो सोचें, वह हमें चाहे कुछ दें या न दें, हम इस की परवाह नहीं करते, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमें उम्मीद है कि छः महीनों में या चार महीनों में जाबता तौर से हम अपनी स्कीम उन्हें देने जा रहे हैं, वह हमें इस का आश्वासन दे दें कि अगली फाइव इअर प्लैन (आगामी पांच वर्षीय योजना) में वह इसे ले लेंगे तो जब तक अगला फाइव इअर प्लैन नहीं चलती है, तब तक हमारी बिहार सरकार यह कोशिश करेगी कि जिस तरह पर भी हो, वह उस को वहां पर दो बरस तक चालू रक्खे ताकि आगे चल कर वह अगली फाइव इअर प्लैन के अन्दर उस से आगे बढ़ाई जा सके । उस के फाइनेन्सेज का हम प्रबन्ध कर लेंगे । कोसी वहां के लोगों के लिए ह्यूमन मिज़री के लिहाज से (मानव-उत्पीड़न के विचार से) ऐसी चीज है जिसे कोई भी गवर्नमेन्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती । श्री जवाहरलाल नेहरू ने दो दफा कोसी को देखा । उनका दिल तो क्या, किसी का भी पत्थर का दिल वहां के लोगों की हालत देख कर पिघल सकता है । लेकिन जहां तक जनता की तरक्की का सवाल है, उनकी उपज बढ़ाने का सवाल है, तमाम हिन्दुस्तान की फूड प्राब्लेम साल्व (अन्न के प्रश्न को हल) करने का सवाल है, गंडक का सवाल बहुत ठोस सवाल है । आप ने कोसी पर जो भी रुपया खर्च किया, बड़ा अच्छा किया । लेकिन आप इस गंडक के सवाल को भी लीजिए और इस का जल्दी से जल्दी उचित प्रबन्ध कीजिए । इस के लिए आप से फिर से अपील कर के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति महोदय, माननीय इरिगेशन और पावर मिनिस्टर ने जो भी अपनी मांग का तखमीना पेश किया है, उस का मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए मैं उन से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कम से कम उस हिस्से को जहां से कि सब से ज्यादा अन्न उन को मिलता है, न भूलना चाहिये । उस हिस्से के ऊपर उन्हें पूरी तरह से गौर करना चाहिये । मान लीजिये, थोड़ी देर के लिये, कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कोई ऐसा तखमीना या कोई ऐसी स्कीम नदी घाटी योजना के बारे में नहीं रखी है, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उस हिस्से को जहां से कि हमें सबसे ज्यादा अन्न मिलता है, छोड़ दें । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस से पहले भी, जो हमारी १९४५-५० की क्विन्क्वेनियल रिपोर्ट है उस को यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन्हों ने भी इस बारे म मध्य प्रदेश की प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी यह राय दी है ।

मध्य-प्रदेश में कोयला, बक्साइट, लोहा, तांबा, मैंगनीज, चूना, आदि के बड़े बड़े संसाधन हैं। किन्तु अभी तक इनका औद्योगिक उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य कठिनाई सस्ती विद्युत के अभाव की ही दिखाई देती है। लगभग ३० वर्ष पहले इस क्षेत्र के जलप्रवाहों से लाभ उठाने के हेतु सर्वेक्षण किया गया था। किन्तु उस के परिणाम उत्साहजनक नहीं थे। इस तरह से आप यहां से चल कर देखेंगे कि उस समय यह पाया गया कि इस क्षेत्र में काफी वर्षा के होते हुए भी, सस्ती विद्युत तथा सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह जो लेखा है इस चीज के ऊपर हम आप के मार्फत उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। गये वक्त पर भी मैं ने उनका ध्यान दिलाने की कोशिश की थी। उसी तरह से यदि आप बस्तर के एरिया में देखें जहां पर इसी रिपोर्ट के मुताबिक वह यह लिखते हैं:

इस क्षेत्र में लगभग ३,१४,००० किलोवाट विद्युत निरंतर उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा साबरी नदी पर बांध डालने से ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन इन बातों पर ध्यान दे और ध्यान करके देखे कि यह कामयाबी हासिल कर सकती हैं या नहीं और वह जो पिछड़ी हुई जगह हैं जहां पर इन नदी योजनाओं की जरूरत है उनको बढ़ावा देने के लिए उचित कार्यवाही करें। खास कर मान लीजिये कि मध्यप्रदेश की सरकार की तरफ़ से और कारणों के कारण जिनमें मैं नहीं जाना चाहता और उन कारणों की वजह से उन्हों ने यदि देरी की या किसी कारण से यदि अपनी मांगों को रखने में देरी की है तो मैं प्लानिंग कमीशन से और खास करके नन्दा जी से इस बात के लिये आग्रह करूंगा कि इन चीज़ों को वह जाकर देखें और देखने के बाद वह उस पर गौर करें। इसके साथ साथ जो आपकी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी थी उसने भी अपनी यह सिफारिश २५ फरवरी सन् १९४८ को की है जिसमें वह इस तरह से कहते हैं कि "क्योंकि इन योजनाओं पर बहुत ज्यादा व्यय करना होगा, इन्हें तब तक लंबित रखा जाय जब तक कि तदर्थ विशेषज्ञ समिति द्वारा इनकी जांच नहीं की जाती।" अब एक्सपर्ट्स आपके पास हैं। मैं माननीय नन्दा जी से कहूंगा कि जब आपके पास एक्सपर्ट्स हैं तो आप इन बातों को देखें। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश में और खास कर बिलासपुर के जिले में जांजगीर तहसील बिलासपुर तहसील के एरिया की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर आपके हरिजन एबार्जिनल्स ज्यादा तादाद में हैं, उस जगह पर हसदो प्राजेक्ट को २६ दिसम्बर सन् १९४९ को बन्द कर दिया गया था। फिर से लेवें तथा पंचवर्षीय योजना में लें। एक सर्वे वहां पर जरूर हुआ, और इसके साथ साथ वहां पर अरपा नदी का भी सर्वे हो चुका है और जो आज सर्वे होकर मध्य प्रदेश की सरकार के पास है और जिसके लिये पैसा न होने के कारण और पूरी मदद न मिलने के कारण मध्य प्रदेश की सरकार ने उस काम को शुरू नहीं किया, मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जिस तरह से इन सारी चीजों पर गौर किया है, तो उन जगहों पर भी जहां पर कि हमारे एबार्जिनल्स रहते हैं कटघोरा, जांजगीर तथा बिलासपुर तहसील में जहां पर धान की काफी उपज होती है, उन हिस्सों की तरफ अपना ध्यान शीघ्र दें।

[सरदार ए० एस० सहगल]

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ये जो सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं वह इन सारी चीजों पर गौर करें और देखें कि हम वहां पर कितना काम कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कहूंगा कि जो इस वक्त बड़ी बड़ी नदी घाटी की योजनाएं हमारे सामने काम कर रही हैं, उनके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह हो सकता है कि उनकी इन योजनाओं में और कार्यों में हमारे कुछ भाइयों की वजह से अथवा किन्हीं अफसरों की वजह से यह जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, उनमें गलतियां हो सकती हैं। मैंने खुद हीराकुड डैम में जाकर करीब करीब तीन दिन में सारा काम देखा, और मैं उस बड़े काम को जो वहां पर हो रहा है उसको अपनी आंखों से देख कर मंत्री महोदय को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारे श्री गिरि जो लेबर के मिनिस्टर हैं उन्हों न वहां जाकर लेबर सम्बन्धी सारे झगड़े और चीजें तय कीं, उसके लिये यह कहा जाना कि वहां पर मिनिस्टर के जाने पर यह सारे झगड़े हुए, यह चीज गलत है। कुछ लोग तो कितना भी अच्छा कोई डिपार्टमेंट हो उसके खिलाफ़ कहने के लिये इस तरह की बहुत सी चीजें जमा कर लेते हैं। इसी के साथ साथ मुझे भाखरा नांगल डैम को भी देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन सारी योजनाओं को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यह जो सारी योजनाएं देश में चल रही हैं अगर इन पर ठीक तरह से काम करने दिया जाय और हमारे दोस्त जो वहां के कार्य करने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म से न बरगलायें तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत आगे जायगा और दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत उन्नतिशील हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : इस सभा के कई सदस्यों ने मेरी जो सराहना की है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मेरे माननीय मित्र श्री टी० एन० सिंह तथा डा० मेघनाद साहा द्वारा चेतावनी तथा आलोचना के जो शब्द कहे गये हैं उनके लिये भी मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं।

कल मैं ने सभा को सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की प्रगति के बारे में कुछ जानकारी दी। यह मुख्यतः व्यय के आंकड़ों में थी। मैं ने कार्य की गति के बारे में भी कुछ बातें बतलायीं। मैं ने बताया कि कौन कौन सी परियोजनाएं कब पूरी होंगी। माननीय सदस्य श्री टी० एन० सिंह ने कहा कि सभा के सामने इन लक्ष्यों का निर्देश नहीं किया जाना चाहिये; हमें केवल आशा के बल पर जीना नहीं चाहिये। इस विषय में मेरा उन से तीव्र मतभेद है। मैं मानता हूं कि ये लक्ष्य झूठे या निराधार नहीं होने चाहियें। लेकिन कुछ भी लक्ष्य न रखने से हम किसी परियोजना की प्रगति का नाप ही न लगा सकेंगे। हो सकता है कि परिस्थितियों वश हमें इन लक्ष्यों में परिवर्तन करना पड़े। लेकिन वह दूसरी बात है। अन्यथा हमें लक्ष्यों को सामने रख कर कार्यक्रम के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिये।

माननीय सदस्यों ने मुझे स्मरण दिलाया कि इस देश के साधन सीमित हैं और इसलिये कोशिश यह होनी चाहिये कि एक रुपये से दस रुपयों का काम लिया जाय। यह सलाह मेरे लिये

पूर्णतः स्वीकार्य है । हमें शीघ्रता के साथ साथ मितव्ययता पर भी ख्याल रखना चाहिये । मैं जानता हूं कि जहां जहां सार्वजनिक निधियों से काम होना है वहां फिजूल खर्ची की गुंजाइश होती है और निधि जितनी बड़ी हो उतनी ही यह धोखा बढ़ता जाता है । अतः सावधानी की आवश्यकता अत्यन्त स्पष्ट है । पंचवर्षीय योजना के सिंचाई तथा विद्युत विषयक कार्यक्रमों पर ७२८ करोड़ रुपये खर्च होने जा रहे हैं । इन विधियों की व्यवस्था करने की भारी जिम्मेवारी हमारे कन्धों पर है इस बात का स्मरण मुझे सदैव रहता है । दूसरी भी एक बात है । हमें यह भी देखना चाहिये कि उद्योग तथा कृषि के विकास के लिए विद्युत तथा जल की दर उपयुक्त हों । यदि फिजूल खर्ची से काम लिया जाय तो अन्ततोगत्वा किसान को ही उसका बोझ उठाना पड़ेगा । अतः मैं इस मितव्ययता के विषय में माननीय सदस्य के साथ पूर्णतः सहमत हूं ।

पिछले वर्षों में कुछ ऐसे मौके थे जब कि यह कहा जा सकता है कि हमने फिजूल खर्ची की । हो सकता है कि जल्दबाजी के कारण या अनुभव एवं कुशलता के अभाव के कारण यह हुआ हो । कुछ भी हो, यह बात अच्छी नहीं थी । इस क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता हम भलीभांति अनुभव करते हैं । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा निरन्तर यह भरसक कोशिश की जा रही है कि परियोजनाओं के प्रशासनों की कुशलता बढ़े, तथा भ्रष्टाचार एवं फिजूल खर्ची के सारे द्वार बन्द कर दिये जायं । इस दिशा में हम अधिकतम प्रयत्न कर रहे हैं । अत्यन्त विनय के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस दिशा में कुछ यश भी मिला है । उदाहरण के तौर पर, अब हिराकुड में शायद ही ऐसा कोई प्राक्कलन हो जिसको कि पहले ही मंजूर न किया गया हो । वहां अब ऐसे मौके कम आते हैं जब कि यन्त्र नादुरुस्त हो जाते हैं । हम स्वयं सुधार के मार्ग खोजते रहते हैं । मैं यह नहीं कहता कि सुधार के लिये अब कोई गुंजाइश नहीं है । मैं स्वीकार करता हूं कि इस सभा में जो टीका टिप्पणियां होती हैं उनसे हमें लाभ अवश्य होता है । ।

अनेक माननीय सदस्यों ने विभिन्न राज्यों के सदस्यों के साथ उनके राज्यों की विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में की जाने वाली बैठकों का जिक्र किया । इस चर्चा से मुझे जो सहायता मिली है मैं उनका बहुत आभारी हूं । इन बैठकों में जो कुछ भी कहा गया है हम उसका पूरा पूरा अनुसरण करेंगे । मैं प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के कार्य की भी प्रशंसा करता हूं यद्यपि मैं उनकी उपपत्तियों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, जो कि ब्यौरे का मामला है, मुझे यह कहना है कि सब मिला कर उनका कार्य बहुत प्रभावपूर्ण है । मेरे मंत्रालय ने इन समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है । मेरे पास ऐसे बीस पदाधिकारियों की सूची है जिनके बारे में पुलिस में कार्यवाही की जा रही है और कुछ मामलों में मुकदमा दायर कर दिया गया है । मैं उस सूची को माननीय सदस्यों की सूचना के लिए परिचालित कर सकता हूं ।

इस मंत्रालय को नए उत्तरदायित्व और कर्तव्य सौंपे गये हैं और इससे भी यह निदान निकलता है कि समस्त संगठन को मजबूत और एक महत्वपूर्ण भाग अदा

[श्री नन्दा]

करने में समर्थ बनाया जाए। मंत्रालय को अब कई नये कार्य करने पड़ते हैं। सब परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के अतिरिक्त इस मंत्रालय ने योजना आयोग के कहने पर इस बात को देखने का उत्तरदायित्व भी ले लिया है कि पंच वर्षीय योजना में की गई सिंचाई तथा विद्युत के विकास सम्बन्धी सिफारिशों को तथा अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में स्थायी सुधार की स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य उपयुक्त कदम उठाएं। अनाज की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ४० करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है। भाग 'ख' और 'ग' राज्यों की सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं सम्बन्धी कार्य भी इस मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने के लिये प्रस्तुत राज्यों की परियोजनाओं की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।

देश के जलीय साधनों का न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम उपयोग करने के मामले पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को परामर्श देने में समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जल सम्बन्धी मूलभूत आंकड़े पूर्व की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप से संकलित किए जायें। इस समय राज्य अपनी अपनी खोजें कर रहे हैं तथा ये प्रयत्न असम्बद्ध हैं। पहला कदम यह उठाया गया है कि मूलभूत आंकड़ों के संकलन के लिये योजना आयोग दो क्षेत्रों का निर्माण करने के लिये सहमत हो गया है। इस बात के लिए कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए भली प्रकार से जांच की हुई पर्याप्त संख्या में योजनाएं हों, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की राज्यों को अधिक प्रत्यक्ष सहायता देना आवश्यक होगा।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में एक डायरेक्टोरेट की स्थापना की गई है जो कि राज्यों द्वारा सौंपी गयी समस्त परियोजनाओं की जांच करने के अतिरिक्त एक नियंत्रण कक्ष भी रखेगा जिससे कि वह कार्यान्वित की जा रही समस्त परियोजनाओं पर निगरानी रख सके।

मिट्टी ढोने वाली मशीनों के चालकों तथा मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अभी हाल में टेकनीकल सहकार मिशन के सहयोग के साथ एक योजना स्वीकृत की गई है तथा विभिन्न राज्यों के तीस नए इंजीनियर स्नातकों और पंन्द्रह सेवायुक्त इंजिनियरों को नदी घाटी परियोजनाओं में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

हमारी नयी घाटी परियोजनाओं के विभिन्न प्रक्रमों पर टैकनीकल लोगों की आवश्यकताओं का निधारण करने तथा जहां जरूरत हो प्रशिक्षण की उपयुक्त योजनाएं प्रारम्भ करने के निमित आधारभूत आंकड़े संकलित करने और विशेषज्ञ इंजीनियरों तथा अन्य टेकनीकल लोगों की सूची तैयार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जा चुके हैं। इंजीमियरों की एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के लिए भी कदम उठाए जा चुके हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों और संयंत्रों के दक्ष कार्यापन तथा रखरखाव के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गयी थी। आशा है कि

इस समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति से काफी मितव्ययता की जा सकेगी।

इस समय ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे कि परियोजना प्राक्कलनों की दरों की जांच की जा सके और इस कारण अब तक इन प्राक्कलनों का समय-समय पर नीचे से ऊपर पुनरीक्षण करना पड़ता था। इस कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी दरों की जांच करने तथा समस्त योजनाओं के लिए काम आने वाली एक मूलभूत विस्तृत अनुसूची तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

देश की समस्त परियोजनाओं के मध्य उचित समन्वय आश्वासित करने के प्रयोजन से जनवरी के प्रारम्भ में नागल में इंजीनियरों का एक सेमीनार हुआ था। वहां विचारों का बहुत महत्वपूर्ण आदान-प्रदान किया गया और सम्मत विचारों की कार्यान्विति के लिये यह निर्णय हुआ कि इंजीनियरों की एक केन्द्रीय समन्वय समिति हो और सम्बन्धित मंत्रालयों का एक समानान्तर बोर्ड हो। इन समितियों की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है।

यह निर्णय किया गया है कि इंजीनियरों का सेमीनार समय-समय पर हुआ करे जिससे विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में प्राप्त अनुभव व ज्ञान का लाभप्रद आदान-प्रदान हो सके और अंततोगत्वा हम अपनी परियोजनाओं में मितव्ययता ला सकें।

अब मैं वाद-विवाद के दौरान में उठायी गयी कुछ बातों पर आता हूं। डा० मेघनाद साहा ने आलोचना की कि हम अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं और केवल वृहत्तम योजनाओं के सम्बन्ध में ही सोचते हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि वृहत योजनाएं हमने इसलिए हाथ में नहीं ली हैं कि हमें वृहतर योजनाएं कार्यान्वित करने की कोई सनक है। हमारे जैसे वृहत देश की आवश्यकतायें भी वृहत हैं और उनके हल के लिए बड़ी चीजें करनी होती हैं। फिर, यह बड़ी-छोटी का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है हमारे साधनों के अनुकूलतम उपयोग का। भाकरा बांध की ऊंचाई ६८० फीट इसलिए नहीं है कि हम चाहते हैं कि यह ६८० फीट हो, यह इसलिए इतना ऊंचा है जिससे कि इसमें ७४ लाख एकड़ फीट पानी इकट्ठा हो सके जिसे कि हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यदि हमें वहां बांध बांधना है तो इतने ही आकार का उसे बनाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि हिमालय पहाड़ अपेक्षाकृत नूतन हैं जो इस ६८० फीट बांध के लिए मजबूत नींव का काम नहीं दे सकते। मैं भूगर्भ-शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं किन्तु हमने इस सम्बन्ध में देश के श्रेष्ठतम भूगर्भवेत्ताओं तथा कुछ विदेशी प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ताओं की राय ली है। सब ओर से यह सुनिश्चित हो जाने पर ही कार्यारम्भ किया गया है कि इसकी नींव मजबूत होगी। इस सम्बन्ध में मैं सदन को कोई भी सूचना देने के लिए तैयार हूं। किन्तु यदि माननीय सदस्य के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि उनके पास ऐसी सामग्री मौजूद है जो विशेषज्ञ भूगर्भवेत्ताओं की समिति के विचार के लिए महत्वपूर्ण होगी तो मैं उसे उनके सम्मुख रखने को प्रस्तुत हूं जिससे कि वे उसका लाभ उठा सकें।

हमारे यहां जो खेती योग्य बेकार भूमि है उसमें से इस समय १८ या २० प्रतिशत

[श्री नन्दा]

ही सिंचाई के अंतर्गत लायी जा सकी है। हमें शेष ८० प्रतिशत पर सिंचाई करनी है और मैं समझता हूं कि छोटे पैमाने की सिंचाई योजनाएं इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होंगी।

योजना काल में हम छोटी सिंचाई योजनाओं पर १२२ करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए ४० करोड़ रु० का और उपबन्ध कर दिया गया है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि दूसरे पहलुओं की उपेक्षा कर दी गई है। साधनों के अनुसार उन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। फिर, माननीय सदस्य ने विदेशी विशेषज्ञों का जिक्र किया मैं उनसे पूर्णतया सम्मत हूं कि हमें यथासम्भव कम से कम विदेशी विशेषज्ञों का सहारा लेना चाहिए। मुझे उनके प्रति कोई विशिष्ट उत्कण्ठा नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि काम हो; और जब इतनी राशि व्यय की जा रही है और निर्माण की दृढ़ता इत्यादि का प्रश्न भी है, तो मैं सर्वोत्तम परामर्श ही चाहता हूं। किन्तु यह वहीं होना चाहिए जहां यह अनिवार्य हो और क्रमशः इसे समाप्त कर देना चाहिए। यही किया जा रहा है। भाकरा में भी हाल में १० या १५ व्यक्तियों को नोटिस दे दिया गया है।

हो सकता है कि कुछ समय पश्चात् अर्थात इन बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर लेने के पश्चात् हमारे इंजीनियरों को बाहर की सहायता की आवश्यकता न रहे और ऐसी स्थिति आ जाये कि वे विदेशियों की सहायता कर सकें। माननीय सदस्य ने एक ही सांस में मुझे यह सब कह दिया कि दामोदर घाटी निगम के लिए अमरीकन इंजीनियर बुलाने में क्यों देर हुई? और साथ ही उन्होंने विदेशी विशेषज्ञों की भी बात की। इस प्रकार कुछ अवसरों पर विदेशी विशेषज्ञ प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव होती है।

उन्होंने कहा कि जो कुछ अमरीका में हो रहा है उस से हम आकर्षित क्यों होते हैं और हमारी उस में इतनी अभिरुचि क्यों है? रूस और अन्य स्थानों पर भी बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। वहां पर भी, जहां तक इन टेकनिकल विषयों के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सम्बन्ध है, कोई प्रतिबन्ध नहीं है और ऐसे लाभ से वंचित रहने की तो हमारी भी इच्छा नहीं। उदाहरणता हमारे कुछ इंजीनियर बहुत शीघ्र इस बात का अध्ययन करने के लिए चीन जा रहे हैं कि वे बाढ़ों की समस्या का क्या प्रबंध करते हैं।

उन्होंने तुंगभद्रा के प्रश्न और उपयोग के प्रश्न की ओर निर्देश किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि उपयोग का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर यदि आपने जल संग्रह के प्रबन्ध कर लिए और उस द्वारा सिंचाई करने के लिए भूमि न हो तो इस से क्या लाभ? इसी प्रकार यदि हम विद्युत उत्पन्न करते हैं और हमारे पास उद्योग और उसके अन्य उपयोग नहीं तो यह सर्वथा व्यर्थ है। कुछ समय पूर्व मेरे मन में विद्युत के उपयोग के सम्बन्ध में शंका थी। हमें बार बार चेतावनी दी गई और कहा गया कि आप हीराकुड की विद्युत का क्या करेंगे, आप दामोदर घाटी निगम की विद्युत का क्या करेंगे, इत्यादि। आज की स्थिति उल्टी है। हीराकुड की

विद्युत के पूर्ण वितरण की व्यवस्था हो चुकी है और शीघ्र ही यह विद्युत प्रायः समाप्त हो जायेगी । दामोदर घाटी-निगम के वितरण की भी व्यवस्था हो चुकी है और कुछ वर्ष पश्चात तो इस विद्युत की कमी पड़ेगी । अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में यही स्थिति है ।

जल के सम्बन्ध में तुंगभद्रा परियोजना में कठिनाइयां हैं । राज्य इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे थे, और हम उस स्थिति में कुछ नहीं कर सके, परन्तु अब कार्यवाही की जा रही है । मद्रास में जल के पूर्ण उपयोग के कुछ प्रबन्ध किए गए थे परन्तु वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका । अब आंध्र राज्य सरकार ने कार्य आरंभ किया है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : यदि राज्य तुंगभद्रा के सम्बन्ध में योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहे तो क्या केन्द्र इसे अपने हाथ में लेकर उस क्षेत्र का विकास करेगा ?

श्री नन्दा : हम राज्य के कार्यों को नहीं छीनना चाहते, और यह सब उन्हें ही करना है । यदि हम ऐसे कार्यों को हाथ में लेना आरम्भ कर दें तो एक के बाद दूसरा कार्य केन्द्र पर फेंक दिया जाएगा ।

माननीय सदस्य डा० साहा ने दामोदर घाटी निगम, कोनर, दरों के प्रश्न इत्यादि की ओर निर्देश किया । दामोदर घाटी निगम के प्रतिवेदन का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ । इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मेरा यह विचार था कि वह प्रतिवेदन मुद्रणालय को भेजा जा चुका है । इच्छा यही थी परन्तु समय पर किसी प्रकार इसे रोक दिया गया, अतः प्रतियां मुद्रणालय में नहीं गईं । परन्तु प्रतियां प्राक्कलन समिति के कई सदस्यों के हाथ में थीं, और इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं । इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि यह बात कैसे पैदा हुई, मुझे इसका उल्लेख तो नहीं करना था, सिवाय इस बात के कि माननीय सदस्य ने मुझे याद दिलाया कि कुछ समय पूर्व उन्होंने मुझे कोनर की दरें अत्यधिक होने के सम्बन्ध में कहा था । उस जानकारी और अन्य जानकारी के आधार पर, जो मेरे पास थी, मैंने कार्यवाही की और जांच समिति स्थापित की । बात यह थी कि उस संविदा में दरें बहुत अधिक थीं । समिति ने विषय की जांच की है और मैं भी यह देखने के लिए इस पर विचार कर रहा हूं कि क्या अधिक राशि वापस वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की जा सकती है । ज्यों ही प्राक्कलन समिति विषय को निपटा दे, सदन इस प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकेगा ।

श्री मेघनाद साहा : मेरा विचार है कि समिति का प्रतिवेदन लगभग छः मास से सरकार के पास है तो सरकार ने समिति की उपपत्तियों पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि यह सच है कि उस में यह स्पष्ट बताया गया है कि वहां ऐसे लोगों का एक दल है जिसने सरकार को १,६५,००,००० रुपये तक का धोका दिया है ?

श्री नन्दा : मैं लम्बी बातों में नहीं पड़ूंगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि जिस दिन प्रतिवेदन मिला उसी दिन से हम इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं । हम ने बिहार

[श्री नन्दा]

सरकार, बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार का एक अन्तर्राज्य सम्मेलन किया और इस मामले की जांच की। इस से सम्बन्धित कुछ और प्रश्न थे जिन पर हम ने लम्बा विचार करना था। समय आने पर मैं वे सब तथ्य बताऊंगा जिन से पता लगेगा कि हम इस विषय में पूर्णतः सतर्क रहे हैं।

उन्होंने रेलवे के प्रश्न की ओर भी निर्देश किया था। वहां यातायात अत्यधिक है, इस लिए अग्रेतर विकास रुका हुआ है, क्योंकि वे सुविधाओं को बढ़ा नहीं सकते। मुझे पता लगा है कि इन रेलों में बिजली लगाने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है, और इस प्रकार समस्या को हल किया जायेगा।

उड़ीसा के सम्बन्ध नें कुछ निर्देश था कि हीराकुड में उड़ीसा के पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। मेरे पास आंकड़े हैं—मैं वे माननीय सदस्य को दूंगा—जिन से पता लगता है कि सभी स्तरों पर उड़ीसा के लोगों का अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। मेरा विचार है कि मैं सामान्य बातों को ले चुका हूं जो श्री मेघनाद साहा और अन्य माननीय सदस्यों ने उठाये हैं।

कई माननीय सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं के सम्बन्ध में, और इस योजना अथवा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्यों की प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में कुछ विशेष विषयों का निर्देश किया है और सुझाव दिये हैं। जैसा मैं ने बताया मुझे इन सब विषयों के सम्बन्ध में संबंधित माननीय सदस्यों के साथ चर्चा का मूल्यवान अवसर मिला था, और संभवतः उन सब बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। कतिपय क्षेत्रों में और विशेषतः कमी के क्षेत्रों में अधिक अच्छी सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए माननीय सदस्यों की चिन्ता को मैं समझता हूं और उस की सराहना करता हूं। इस सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों के लिए जांच की जा रही है और अन्य क्षेत्रों के बारे में जो कार्यवाही की जानी है उसका निश्चय किया गया है। बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कृष्णा परियोजना का उदाहरण लीजिए। यह कहा गया था कि इसे क्यों बन्द किया गया है जब कि अन्य नई योजनाएं तैयार हो रही हैं। कोपला और रिहांद का भी उल्लेख किया गया था। वे प्रथम पंच वर्षीय योजना की पांच परियोजनाओं में से हैं। चंबल का कार्य चल रहा है। नंदी कोंडा परियोजना को क्यों नहीं चलाया गया? अन्तर यह है कि चम्बल के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों में कोई मतभेद नहीं था। वहां भी केन्द्र ने अभी तक कोई निधि नहीं दी। राज्यों द्वारा स्वयम् दी गई निधि से अभी तक कार्य चलाया जा रहा है। इस परियोजना के संबन्ध में कुछ मतभेद थे। एक प्रतिवेदन में कतिपय विकल्प रखे गये थे। कुछ जांच की गई थी। वे लगभग पूरी हो गई है। हम इन दो सरकारों से संयुक्त प्रतिवेदन की प्रत्याशा करते हैं। इस का यह अभिप्राय नहीं कि यदि दोनों सरकारें किसी बात पर सहमत न हों तो कुछ नहीं किया जायगा। प्रतिवेदन आने दीजिए। हम निश्चय ही इसके गुणावगुणों पर विचार करेंगे। इस में बिल्कुल

देरी नहीं होगी । यह प्रथम पंच वर्षीय योजना की परियोजनाओं में से एक है । इस लिए ज्यों ही प्रक्रिया तथा आवश्यक जांच पूर्ण होगी, इसका उपबन्ध करना होगा ।

इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं का उल्लेख किया गया था । कुंडा की इस समय जांच की जा रही है । पेरियार का उल्लेख किया गया । इस परियोजना के सम्बन्ध में मद्रास और त्रावनकोर कोचीन के राज्यों में कुछ मतभेद था और कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है । मेरा विचार है कि हमें इसे भी आरंभ करना होगा और हम कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे । गंडक बहुत आकर्षक परियोजनाओं में से है । मैं ने इस बारे में आंकड़ों और तथ्यों की जांच की है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे यह बात याद रखें कि बहुत जल्दी करने पर भी हम इसे प्रथम पंच वर्षीय योजना में नहीं ला सकेंगे । कोसी के लिए भी हम अभी तक कोई संगठन स्थापित नहीं कर पाये हैं। मेरा निजी विचार है कि तथ्यों के आधार पर इस परियोजना को हाथ में लेने की काफ़ी संभावना है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के संबन्ध में इस पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के लिये केवल पांच मिनट और हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या गंडक परियोजना का विचार किया जा रह है

श्री नन्दा : मंत्रालय इस पर विचार नहीं कर रहा है । केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के पास आंकड़े होंगे और वे विशेष समिति को प्रस्तुत किये जायेंगे जो उन सब परियोजनाओं की जांच कर रही है जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की जानी हैं । वहां उन पर विचार किया जायगा ।

एक माननीय सदस्य ने मुझे मध्य प्रदेश के संबन्ध में याद दिलाया है। मैं ने उसका उल्लेख नहीं किया । बहुत सी परियोजनाओं की जांच की गई है । कुछ को राज्य सरकार के कहने से छोड़ दिया गया । कुछ को चलाया गया है और वे पूरी हो गई हैं । सत्यारा तथा दुधुवा के सम्बन्ध में निश्चय किया जायगा, और हमारे तथा राज्यों के बीच परामर्श और सहमती के पश्चात आगामी कार्यवाही की जायगी । जैसा मैंने पहले बताया सारे देश के सम्बन्ध में सारी नदियों की क्षमता की जांच की जा रही है । यदि कोई स्तर्क न भी हो और कोई परियोजना प्रस्तुत न करे तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि वहां कोई परियोजना न हो यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम देखें कि देश में और विशेषतः उन क्षेत्रों में जो पिछड़े हुये हैं और जिन्हें विद्युत (जैसे दक्षिण में) और कुछ सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्य राज्यों जैसा लाभ और सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ है, संसाधनों की जांच की जाये और उनका अधिकतम विकास किया जाये । इन क्षेत्रों पर प्रथम विचार करना होगा ताकि सारे देश में समन्यायी और उचित प्रबन्ध हो ।

मैं अनुभव करता हूं कि अब समय अधिक नहीं है । मैंने प्रायः सब बातों का उत्तर दे दिया है । उस ओर के एक माननीय सदस्य ने मेरे बताये आंकड़ों तथा वित्त मंत्री द्वारा दी गई

[श्री नन्दा]

उस जानकारी में, जो योजना आयोग को प्राप्त की गई थी, एक विषमता याद दिलाई है। ९ करोड़ रुपये की कमी हुई थी और अन्त में मालूम हुआ कि यह ३ करोड़ की थी और इस में हरीके का भी एक करोड़ रुपये का कुछ अंश मिला था। लेखा परीक्षा पूरी होने के पश्चात हमारे पास अन्तिम जानकारी आई थी। योजना आयोग की जानकारी पहले मिली थी। वे इसे पूरा नहीं कर सके थे। यह बात नहीं की इस बारे में कोई उपेक्षा की गई थी। परन्तु पूर्ण जानकारी बाद में उपलब्ध हुई।

माननीय सदस्यों के प्रति आभार की भावना से मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ आलोचना की गई और जो कोई त्रुटी दिखाई गई है उस की ओर सद्भावपूर्ण गंभीर ध्यान दिया जायगा।

हम इस काम में लगे हैं कि अपनी परियोजनाओं को कार्यकुशलता और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उच्चतम स्तर पर लायें।

श्री बराघसामी : माननीय मंत्री ने कहा है कि देश की नदियों के सब संसाधनों और प्रयोग की जांच की जायेगी। उन्होंने कावेरी के अतिरिक्त संसाधनों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा कि वे उन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं।

श्री नन्दा : मैं इस की जानकारी माननीय सदस्य को दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं किसी और समय।

अब मैं कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष मांगें, संख्या ६१, ६२, ६३, ६४, १२८ व १२९ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

अनुदानों की मांगें*

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांगों पर विचार करेगा।

१९५४-१९५५ के लिये अनुदानों की यह मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं:—

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
५९	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	१,२७,३४,००० रुपये
६०	प्रसारण	२,१२,८२,००० रुपये
१२७	प्रसारण पर पूंजी व्यय	१,८३,३३,००० रुपये

*राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
५९	श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल)	भारत के आल इंडिया रेडियो के स्टेशनों में छंटनी	१०० रुपये
५९	श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम)	त्रिपुरा में आदिम जातियों के उद्धार के लिये स्थानीय भाषा का प्रसारण केन्द्र	१०० रुपये
५९	श्री वी० पी० नायर	प्रसारणों में प्रगतिशील कविताओं, गानों तथा नाटकों का रखा जाना	१०० रुपये
५९	श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर)	पैरामाउन्ट न्यूज जैसी विदेशी कम्पनियों द्वारा जो घटनाओं का गलत और पक्षपातपूर्ण प्रचार करती हैं, निर्मित समाचार फ़िल्मों का समाचार फ़िल्मों के रूप में प्रदर्शन	१०० रुपये
५९	श्री के० के० बसु	भारतीय फ़िल्मों के स्तर को सुधारने में विवेचन बोर्ड की असफलता	१०० रुपये
५९	श्री एन० बी चौधरी (घाटल)	सरकार की अमरीका से आयात की गई अश्लील फ़िल्मों का प्रदर्शन रोकने में असफलता	१०० रुपये
५९	श्री गाडिलिंगन गोड़ (कुरनूल)	आंध्र राज्य में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं के संबंध में ग्राम्य क्षेत्रों में प्रसारण तथा व्यापक प्रचार के लिये आवश्यक व्यवस्था का अभाव	१०० रुपये
५९	श्री एन० आर० नायडू (राजमुंड्री)	मंत्रालय द्वारा अनुसरित सामान्य नीति	१०० रुपये
५९	डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर)	"सम्राट" जैसी फ़िल्मों हिन्दू देवताओं के प्रति दिखाये गये अपमान को रोकने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
५९	सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा)	फिल्म निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया	१०० रुपये
५९	सरदार हुक्म सिंह	संगीत कलाकारों की परीक्षण समिति	१०० रुपये
५९	सरदार हुक्म सिंह	कर्मचारी कलाकारों की नियुक्ति	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
५९	सरदार हुक्म सिंह	बी० बी० सी० की तरह ब्राडकास्टिंग पर नियंत्रण रखने के लिये एक निगम के स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
५९	श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)	आल इंडिया रेडियो के स्टेशनों में कर्मचारियों की शिकायतें	१०० रुपये
५९	सरदार हुक्म सिंह	देशीय प्रसारण के लिये मीडियम वेव ट्रांसमिटरों का प्रयोग	१०० रुपये
६०	श्री के० के० बसु	ब्राडकास्टिंग विभाग में विशेषत: आल इंडिया रेडियो के दिल्ली और कलकता केन्द्रों में भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार और कर्मचारियों तथा सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ असंतोषजनक व्यवहार	१०० रुपये
६०	श्री के० के० बसु	आल इंडिया रेडियो के समाचारों में पक्षपात से काम लिया जाना, विशेषत: चुनावों के समय में जब केवल कांग्रेसी नेताओं के भाषणों का ही प्रचार होता है	१०० रुपये
६०	श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकता उतर-पूर्व)	आल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एसिस्टेन्टों की हाल ही में की गई छंटनी	१०० रुपये
६०	श्री एच० एन० मुकर्जी	आल इंडिया रेडियो की संगीत नीति तथा हल्के संगीत से संबन्धित यूनिटों का कार्य	१०० रुपये
६०	श्री एच० एन० मुकर्जी	आल इंडिया रेडियो के साधारण कर्मचारी कलाकारों के रहने की हालत	१०० रुपये
६०	श्री एच० एन० मुकर्जी	आल इंडिया रेडियों की कार्य क्रम नीति	१०० रुपये
६०	श्री एन० आर० नायडू	आंध्र राज्य में विजयवाड़ा के ब्राडकास्टिंग स्टेशन का सुधार	१०० रुपये
६०	सरदार हुक्म सिंह	प्रसारण में नियमों की उपेक्षा	१०० रुपये

श्री चट्टोपाध्याय : मैं आपके सामने साफ़ साफ़ बातें कहूंगा। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय एक ऐसे मंत्री के अधीन है जो बिल्कुल अयोग्य एवं अकुशल है। उनके कार्य-भार संभालते ही रेडियो विभाग में अव्यवस्था फैल गई। उन्होंने यह कहा था कि वह आल इंडिया रेडियो की नीति को एक दम बदल देंगे, परन्तु वास्तविकता यह है कि जिस जिस चीज़ में उन्होंने हाथ लगाया उसको खराब करके ही छोड़ा। कार्य-क्रम की नीति को कुछ ठीक करने के बजाय उन्होंने उसे उल्टा बिगाड़ ही दिया है।

[**पंडित ठाकुर दास भागर्व** पीठासीन हुए]

अब आप ज़रा उनके कारनामों को देखिए। उन्होंने संगीत का एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड बनाया जिसमें खूब धांधलेबाज़ी चली है। उन्होंने विशेष कलाकारों की नियुक्ति शुरू की जिनमें किसी प्रकार की भी विशेषता नहीं थी। इससे केवल नियमित कार्यक्रम कर्मचारियों की संख्या में ही कमी हुई है।

फिर उन्होंने फिल्मी संगीत पर रोक लगाई और इसके स्थान पर अपना हल्का संगीत तैयार करना शुरू किया। अब तक यह संगीत बेकार ही सिद्ध हुआ है। फिर कलाकारों की परीक्षण समिति बनी, जिसने बजाय कलाकारों को उचित स्थान देने के, उनका निरादर ही किया। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से यह आवश्यक है कि इस समिति को तुरन्त खत्म कर दिया जाए।

मैं आपको आल इंडिया रेडियो के हल्के संगीत के बारे में कुछ बताऊंगा। इस विशेष संगीत को तैयार करने के लिए विशेष कलाकारों को मोटे मोटे वेतनों पर वशेष रूप से नियुक्त किया है। आज प्रसारण मंत्रालय में विशेषज्ञों की भरमार है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि यहां दिल्ली में श्री भगवती चरण वर्मा को, जो मुख्यत: हिन्दी गद्य के लेखक हैं, ९५० रुपये प्रतिमास पर हलके संगीत का प्रभारी बनाया गया है। मैं नहीं जानता कि संगीत में उनका कहां तक हाथ है और इसके लिए वह क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य केन्द्र पर भी नियुक्तियां हुई हैं। जो लोग संगीत के संबंध में कुछ नहीं समझते हैं आज उन्हें मोटे मोटे वेतनों पर आल इंडिया रेडियो में नियुक्त कर रखा है। इस विभाग पर लाखों रुपया ख़र्च किया जा रहा है। परन्तु संगीत में प्रगति कितनी हो रही है, इसे कोई नहीं बता सकता।

कार्य-क्रमों में सुधार करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्री के पिट्ठुओं को निर्माता, निर्देशक, परामर्शदाता और निरीक्षकों के रूप में भरती किया गया है और पुराने एवं अनुभवी कार्यक्रम सहायकों (प्रोग्राम एसिस्टेंटों) को निकाल फेंका गया है।

उदाहरण के लिए एक गायिका का ही मामला ले लीजिए। कुछ वर्ष पहले इस गायिका को चुनाव बोर्ड में अस्वीकार कर दिया था लेकिन आज वही गायिका संगीत की संचालक बनी हुई है तथा महा संचालक की ओर से पत्रों पर हस्ताक्षर भी करती है। यह है डा० केसकर के विभाग में अन्धेर।

छंटनी का मामला भी इसी प्रकार है। डा० केसकर को "कार्यक्रम में सुधार" करने के लिए १० लाख रुपये की आवश्यकता थी। बड़े बड़े वेतनों पर विशेष कलाकार रख कर सुधार करने का प्रयास किया गया था। वित्त मंत्रालय ने केवल ३.५२ लाख रुपये मंजूर किए। विशेष कलाकारों के लिए रुपयों का प्रबन्ध तो होना ही था

[श्री चट्टोपाध्याय]

इसलिए ५० प्रोग्राम असिस्टैंटों को निकाल दिया गया। लोगों को दिखाने के लिए यह कह दिया गया कि उन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने नहीं चुना, धन की कमी थी आदि। प्रोग्राम असिस्टैन्टों को सुबह १० बजे से रात के १० बजे तक काम करना पड़ता है और अक्सर इतने परिश्रम के पश्चात् उनका शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक पतन हो जाता है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक शक्तिशाली ट्रान्समिटर लगाये जायेंगे: इंदौर, बंगलौर, जोधपुर, ग्वालियार तथा राजकोट में नये स्टेशन खोले जायेंगे। जब इतना विस्तार होगा तो क्या प्रोग्राम असिस्टैन्टों की आवश्यकता नहीं होगी? फिर उन्हें क्यों निकाला गया?

विजयवाडा में जो ट्रान्समिटर लगा हुआ है वह छोटा है। वहां शक्तिशाली ट्रान्समिटर की आवश्यकता है। आन्ध्र राज्य के बन जाने पर तो इस स्टेशन का महत्व और भी बढ़ गया है। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है एक ५० किलोवाट वाला ट्रान्समिटर खाली पड़ा है, यदि उसे वहां लगा दिया जाए तो तेलुगु बोलने वालों को अपना विकास करने में काफी सहायता मिल जायेगी।

मैं तो बहुत पहले से इस बात के पक्ष में हूं कि आल इंडिया रेडियो को एक निगम का रूप दे दिया जाए। आखिरकार, आल इंडिया रेडियो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति तो नहीं है। वह जनता की सम्पत्ति है और जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जिस प्रकार उचित समझे उसका संचालन करे। डा० केसकर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया है। इस बात को प्रमाणित करने के लिये मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं किन्तु समय के अभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय प्रोग्राम एक बकवास है। मंत्रीगण अपने-अपने भाषणों को सुनने में ही दिलचस्पी लेते हैं। वे समझते हैं कि वे जो कुछ कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है जब कि वास्तव में, वह अधिकतर बकवास होती है।

अन्त में, मैं केवल दो बातें पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि जब से डा० केसकर ने आल इंडिया रेडियो का भार संभाला है तब से कितने ऐसे व्यक्ति भर्ती किये गये हैं जिनके नाम के पीछे 'कर' लगा हुआ है? वास्तव में, लोग अब उसे आल मराठा रेडियो कहने लगे हैं। दूसरे यह कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनको संघ लोक सेवा आयोग ने ३०० या ४०० रुपये प्रति मास वाले पद के लिये अस्वीकार कर दिया था और अब वही उससे तीन गुना अधिक वेतन पर काम कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि इस मंत्रालय के काम की जांच के लिये एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाये। मेरा निवेदन है कि डा० केसकर का भारतीय गणतंत्र में कोई स्थान नहीं है तथा प्रधान मंत्री को उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिये।

श्री कानूनगो (केन्द्रपाड़ा): मुझ से पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा है कि एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाये जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के काम की जांच करे। इस सम्बन्ध में संसद् की प्राक्कलन कमेटी तो पहले ही से काम कर रही है।

मेरे मित्र श्री चट्टोपाध्याय ने आल इंडिया रेडियो के कार्यों का घोर विरोध किया है । परन्तु मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक वह भी समय था जब आल इन्डिया रेडियो की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी । हर काम बेढंगे तौर पर हो रहा था । डा० केसकर ही ने सुचारू व्यवस्था की है । उन्होंने विकास की ओर कदम बढ़ाया है । लोगों को उनकी संस्कृति का ज्ञान कराया है । एक समय वह था जब गन्दे और अश्लील गानों का प्रसारण होता था । कुछ व्यक्तियों ने अपना एकाधिकार जमा रखा था । अनेक फालतू अस्थायी कर्मचारी भर लिये गये थे । यदि उन्हें अब निकाल दिया गया तो क्या हो गया । आखिरकार, जब किसी संस्था को व्यवस्थित किया जाता है तो फालतू व्यक्तियों को तो निकालना ही पड़ता है । फिर जिनको निकाला गया है उनके मामले संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिये गये थे तथा उसकी राय ले लेने पर ही ऐसा किया गया है । आप यह भी चाहते हैं कि अपव्यय न हो, खर्च में कमी की जाय तथा यह भी चाहते हैं कि छंटनी न हो-- यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ?

मेरे मित्र श्री चट्टोपाध्याय ने कहा है कि विजयवाड़ा में शक्तिशाली ट्रान्समिटर लगाया जाये । और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अपने स्टेशनों को शक्तिशाली बनाने के लिये कह सकते हैं । इसीलिये मंत्रालय ने इस दिशा में विकास की योजना बना दी है और कार्य उसी के अनुसार चल रहा है । कोई गड़बड़ी नहीं है । हो सकता है कि मेरे मित्र किसी कलाकार को उच्चकोटि का समझते हैं और उसी को में या और कोई वैसा न समझता हो, इसका यह अर्थ तो नहीं होता कि उसे न लिया जाये या उसे ले ही लिया जाये । आखिरकार, अब इसका निर्णय करने के लिये बोर्ड बना दिये गये हैं जिनके सदस्य स्वयं उच्च कोटि के कलाकार हैं । हमें उनका निर्णय मानना चाहिये । मेरे विचार में लोग इस बात से सहमत हैं कि सुधार किया जाना चाहिये और डा० केसकर ने जो मार्ग अपनाया है उससे जनता संतुष्ट है । भारतीय संगीत को उसका स्थान दिया जा रहा है । मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी डा० केसकर के इस प्रयत्न पर गर्व करेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): मेरे मित्र श्री चट्टोपाध्याय ने जिस प्रकार माननीय मंत्री के ऊपर कीचड़ उछाली है उससे मैं कभी भी सहमत नहीं हो सकता । यदि यह मान भी लिया जाये कि उन्होंने गलतियां की हैं तो मैं पूछता हूं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलती नहीं करता ? फिर इस प्रकार के आरोप लगाना कहां तक ठीक है । उन्हों ने जिस प्रकार की बातें सदन में कही हैं उनसे उन्होंने सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है । क्या सदन इतनी छोटी छोटी बातों की चर्चा करने का स्थान है ?

मेरे माननीय मित्र ने प्रोग्राम असिस्टैन्टों की हालत बताते हुए कहा कि उन का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक पतन हो जाता है । मेरे पढ़ाये हुए कई विद्यार्थी उन पदों पर काम कर रहे हैं । लेकिन जब कभी भी मैं उन से मिलता हूं तो उन्हें चुस्त और प्रफुल्लित पाता हूं । वास्तविकता कुछ और ही है । मेरे मित्र को पूरी बातों का ज्ञान नहीं है : हम प्रसारण की पूरी प्रणाली को बदल रहे हैं । उस का पुनर्संगठन कर रहे हैं । सभी प्रकार के

[श्री डी० सी० शर्मा]

लोगों के लिये प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। जिनमें काफी ध्यान लगाना पड़ता है। प्रोग्राम सलाहकार कमेटियां होती हैं जो प्रोग्रामों का भलीभांति अध्ययन करती हैं। उनको सोच समझ कर जनता के सामने प्रस्तुत करती हैं। उनका ध्येय होता है कि इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। हल्के संगीत के बारे में देश में खूब आलोचना की जा रही है। मगर मैं पूछता हूं हल्का संगीत है क्या? क्या बाजारों में जो गन्दे और भद्दे गीत गाये जाते हैं वही हल्का संगीत है? हां, लोग उसी को हल्का संगीत कहते हैं। जब कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय लोगों को ऐसा हल्का संगीत सुनाने का प्रयास कर रहा है जिससे उनका मनोरंजन हो तो इस प्रयास की ऐसी आलोचना करना उचित नहीं। संगीत बनाने में कुछ समय लगता है। प्राचीन कला के आधार पर एक नये हल्के संगीत की परम्परा बनाना कोई छोटा सा काम नहीं, ऐसा संगीत बनाना है जो लोगों का मनोरंजन तो करे परन्तु उन में बेहूदा गाने पसन्द करने की प्रवृत्ति उत्पन्न न करे। मैं आलोचकों को यह मंत्रणा देना चाहता हूं कि वे और कुछ समय के लिये देखें कि इस प्रयास का फल क्या रहता है। मैं उन्हें बता सकता हूं कि यह सफल रहेगा।

हमें यह बात तो भूलनी नही चाहिये कि यह मंत्रालय बहुत विषयों सें सम्बद्ध है--प्रसारण, समाचारपत्र, चलचित्र, प्रकाशन आदि। परन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि चल-चित्रों का विवेचन उचित ढंग से नहीं होता है। इस विषय में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है नहीं तो जनता की पसन्द बहुत गिर जायेगी, साथ ही, बच्चों के लिये उचित प्रकार के चल-चित्र बनाने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये। बच्चों में एक अच्छी प्रवृत्ति और उच्च पसन्द उत्पन्न की जानी चाहिये। "केवल वयस्कों के लिये" अथवा "सर्वसाधारण के लिये" दो वर्ग के चल-चित्रों का जो नियम है उसका भी पूरा पालन नहीं होता। हमारे बच्चे ऐसे चल-चित्र भी देखते हैं जो उनके लिये अनुपयुक्त तथा अनुचित हों, विवेचन बोर्ड को चाहिये कि इस दिशा में वह सतर्कता से काम करे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा राज्यों के मंत्रालयों में अधिक सहकारिता होनी चाहिये. पंचवर्षीय योजना के बारे में हम काफ़ी प्रचार कर रहे हैं और ऐसा करना सर्वथा उचित तथा आवश्यक है। परन्तु हम यह प्रचार अधिकाधिक नगरों में ही करते हैं। हमें चाहिये कि तहसीलों और गांवों में जाकर इसका प्रचार करें। अतः केन्द्र तथा राज्यों को सूचना सेवाओं में समन्वय तथा एकीकरण की आवश्यकता है, नहीं तो कठिनाइयां होंगी और कई अनियमिततायें होंगी।

हमारे देश में प्रलेखीय चल-चित्रों की बहुत आवश्यकता है। वाणिज्यिक निर्माता यह चल-चित्र बनाते नहीं हैं क्योंकि इन में उन्हें लाभ नहीं होता। मंत्रालय अवश्य कुछ प्रलेखीय चल-चित्र बनाता है परन्तु उन में देश का सांस्कृतिक वैभव दिखाने तथा उन द्वारा भिन्न राज्यों एक दूसरे के समीपता लाने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को बधाई देता हूं कि इस ने अच्छा काम किया है । मैंने अन्य देशों में सूचना मंत्रालयों द्वारा किये गये काम की रिपोर्टें पढ़ी हैं और यदि समय होता मैं सदन में भी पढ़ कर सुना देता ताकि आप तुलना करके देखते कि हमने कितना अच्छा काम किया है ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज मेरा कतई इरादा नहीं था कि आज मैं बोलूं, लेकिन जब मैंने देखा कि यह हाउस जो है इसकी शान में फर्क आ रहा है और जिस शान से हम इस हाउस में आये, यहां बैठकर ऐसा मालूम होता था कि इंसान न मालूम किस चौबच्चे में बैठा हुआ है जहां इस तरह की बातें सुने। मैं ने जिस वक्त आज भारत के कवि महाशय का व्याख्यान यहां पर सुना तो मुझे बहुत दुःख हुआ । और दुःख मुझे इस बात का हुआ क्योंकि मैं समझती हूं कि जो भी कवि होता है वह इस जमीन से बहुत ऊंचा रहता है । लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि जो कवि ने बातें कहीं वे जमीन के तले की बातें कहीं । इसलिए मुझे बहुत दुःख हुआ और मैं ने सोचा कि मेरा फर्ज़ है कि मैं हाउस की शान को कायम रखूं । मुझे यह कहना है कि आज जो हमारे कवि ने बातें कहीं उनको सुनकर मुझे ऐसा मालूम होता था कि जैसे बम्बई के अखबारों के पर्चे मेरे सामने आ गये हों, जैसे बाबूराव पटेल वगैरह लिखते हैं । यह सुनकर मैं ने सोचा कि इस के बारे में कुछ कहूं । मैं इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी रखती हुं और मैं आपको बताऊं कि मैं इधर उधर के और रेडियो के बहुत गाने सुना करती हूं । पहले जो मैं रेडियो पर गाने सुनती थी वह ज्यादा-तर फिल्मी गाने होते थे । मुझे कोई फिल्मी गानों से चिढ़ नहीं है लेकिन मैं यह पसन्द नहीं करती कि हमारे घरों के बच्चे उन गानों को गावें । मैं तो यह भी पसन्द नहीं करती कि हमारे इक्केवाले भी उन गानों को गावें, जैसे लारी लप्पा का गाना मैं ने सुना । तो इस तरह के गाने जिनका न सिर है न पैर और जिनके कोई मानी नहीं हैं यह एक नेशन के दिमाग में खलल पैदा करते हैं । ऐसे गानों को हमें बन्द करना चाहिये । जिस वक्त एक नेशन में तबदीलियां होती हैं तो हमें उसको फिर से बनाना पड़ता है, लेकिन हम ग़लाज़त से एक नेशन को नहीं बना सकते । हमको उसे सफाई से बनाना चाहिए । ऐसे गाने आने चाहिएं जिनमें राग हो, स्वर हो । जब ऐसे गाने आवेंगे तो हमारी पबलिक को जिसको कि लारी लप्पा और रम्भा के गानों को सुनने की आदत पड़ी है तकलीफ होगी । लेकिन हमें अपनी पबलिक को एजूकेट करना है, और यह हमारा फर्ज है । हमारे आनरेबिल मेम्बर ने भगवतीचरण वर्मा का नाम लिया । मैं भगवतीचरण वर्मा को जानती हूं । वह हिन्दी के बहुत पुराने राइटर हैं और वह जो लेख और कविताएं लिखते हैं वे निहा-यत सुलझी हुई होती हैं । मैं उनको आज से नहीं मुद्दत से जानती हूं । आज यहां उनका नाम लेकर जो कुछ कहा गया है उसे सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि यह कितनी नासमझी है । उनको कुछ पता है कि वह आज यहां क्या कह रहे हैं । वह क्या जाने कि लाइट म्यूज़िक क्या होता हैं । हम जानते हैं । हमसे पूछिए । वह छोटी छोटी कविताएं होती हैं । वह लाइट

[श्रीमती उमा नेहरू]

म्यूज़िक नहीं है कि जिसमें कोई राग ही न हो, कोई स्वर ही न हो और कोई तान ही न हो। लाइट म्यूज़िक वह है जिसमें स्वर और तान दोनों चीजें हों। आजकल जो कवियों की कतिवाएं गाने के रूप में गायी जाती हैं वह मुल्क को बहुत फायदा करने वाली हैं।

मैं उनको यह भी बताऊं कि जब से हमारी यह मिनिस्ट्री आई है तब से हम ने रेडियों में बहुत तरक्की की है। पहली तरक्की तो हमने यह की है कि हमने हिन्दी को इसमें लाने की कोशिश की है। जो कवि अच्छी कविताएं लिखते हैं हम उनको बुलाते हैं। पहले जब मैं रेडियो स्टेशन पर जाया करती थी तो मैं देखती थी कि कितनी ही गाने वालियां आया करती थीं, जैसे गौहर जान, महल जान, तरह तरह की जानें वहां आया करती थीं। और हमें वहां पर उन जानों को देखकर तकलीफ होती थी। लेकिन जब से हमारी मिनिस्ट्री आयी है हमने उन जानों को वहां से सफाचट कर दिया है और हमने उस करप्शन को भी दूर कर दिया है जो कि इनकी वजह से वहां पर था।

मैं अपोज़ीशन से नहीं डरती। पर अपोज़ीशन हैल्दी होना चाहिए। मैं चाहती थी कि वह यह बताते कि हमारे अन्दर क्या क्या कमियां हैं, वह यह बताते कि किन किन चीज़ों को हम नहीं कर सके हैं। बजाय इसके उन्होंने ऐसी बातें कहीं कि मालूम होता था कि वह होश में भी हैं या बेहोशी में बातें कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती।

मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी यह फाइव इअर प्लान है इसका अच्छी तरह से प्रचार हो। हमारी शिक्षा का प्रचार हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां और पहेलियां दी जाया करें। मैं तो इन को रोज़ सुना करती हूं। मैं खुद कभी कभी इनमें हिस्सा लेती हूं। तरह तरह के सामाजिक और राजनीतिक विषयों को हम लाते हैं। तो आजकल यह हो रहा है। मैं कुछ दिल-चले लोगों को जानती हूं जो कि मुझ से कहते हैं कि हमारी तबीयत रेडियो में अब नहीं लगती और हम पाकिस्तान और सीलोन को स्विच आन करते हैं। मैं पहले नहीं जानती थी कि सीलोन में क्या म्यूज़िक होता है पर जब मैंने स्विच आन करके देखा तो पाया कि वही लारी लप्पा या उस तरह के गाने होते हैं और उसके बाद कोई मंजन का इश्तिहार होता है या कोई साबुन का इश्तिहार होता है। तो हम इन चीज़ों को नहीं चाहते। हम अपने नेशन को बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस लारी लप्पा और रम्भा के गाने दोनों से बचे रहें। मैं यह कह कर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती कि हम क्या कर रहे हैं और हमने कितनी तरक्की है। क्यों अपना और दूसरों का वक्त खोऊं जब कि मेरी बात ही किसी की समझ में न आवे। लेकिन मैं चाहती हूं कि जो अपोज़ीशन के मेम्बर हैं वह इंसाफ से ऐसे सुझाव दें कि जिनसे हम को कुछ शिक्षा मिले।

श्री दामोदर मेनन (कोज़िकोडे): सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय काम का ऐसा है जिसके साथ अन्य मंत्रालयों के काम के प्रति जनता का अधिक सम्पर्क

रहता है । यह मंत्रालय हमें सूचना तथा शिक्षा देने के साथ साथ हमारे लिये मनोरंजन भी प्रदान करता है । इसलिये इस मंत्रालय का कलाकारों तथा संगीतज्ञों से लेन देन रहता है । कलाकार सामान्यतः भावुक होते हैं और इसी कारण मेरे माननीय मित्र ने जिसने वाद विवाद आरम्भ किया, माननीय मन्त्री की कड़ी आलोचना की । परन्तु मैं माननीय मन्त्री का ध्यान उन २४ प्रोग्राम एसिस्टेंटों (कार्यक्रम सहायकों) की ओर दिलाना चाहता हूं जिनको छंटनी की गई है । मुझे पता लगा है कि इनमें से कुछ ११ साल से नौकरी में थे, इनकी इस प्रकार छंटनी करना इन पर आपत्ति लाना है जब कि हम सब जानते हैं कि देश में नौकरी मिलना कितना कठिन है । इन की ओर सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है ।

हल्के तथा शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं स्वयं शास्त्रीय संगीत का प्रशंसक तथा अनुयायी हूं । इसका अभिप्राय यह नहीं कि हल्का संगीत नहीं होना चाहिये । हमें अवश्य ही अपनी संस्कृति के आधार पर उच्च प्रकार का हल्का संगीत बनाना चाहिये । भारत में संगीत की उच्च परम्परा चली आ रही है और मंत्रालय के इस प्रयास की सारे सदन को सराहना करनी चाहिये कि वह शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन दे रहा है । मंत्रालय की एक शाखा हल्का संगीत तैयार करती है । क्या ऐसी शाखा की आवश्यकता है ? क्या फिल्मी गानों से यह काम नहीं लिया जा सकता । ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं परन्तु, मैं समझता हूं कि इस शाखा का होना वांछनीय ही नहीं आवश्यक है, क्योंकि यद्यपि फिल्मी गाने निस्सन्देह मनोरंजक हैं, परन्तु हमें ऐसे हल्के संगीत का निर्माण करना है जो हमारी संस्कृति के अनुकूल हो । और ऐसा करने से हम अपने संगीत के विकास में एक नया युग लायेंगे ।

इस मंत्रालय का एक फिल्म डिवीजन (चल-चित्र विभाग) है जो प्रलेखीय चल-चित्र बनाता है । बहुत से ऐसे चल-चित्र प्रशंसनीय हैं, परन्तु एक शिकायत यह है कि इन में अधिकतर कांग्रेस मंत्रालयों का ही प्रचार होता है । यह बात नहीं रहनी चाहिये । राष्ट्रीय कार्य के तो कई पहलू हैं जो बिना किसी राजनैतिक दल के पक्ष में प्रचार किये, प्रलेखीय चल-चित्रों के विषय बन सकते हैं ।

निर्माताओं की भी शिकायत है कि उन्हें प्रलेखीय चल-चित्र बनाने में उचित भाग नहीं लेने दिया जाता । अच्छा होता यदि यदि मंत्रालय प्रवीण निर्माताओं को यह काम करने के लिये प्रोत्साहन देता । इससे इन चल-चित्रों में विभिन्नता आ जायेगी और यह अति सुन्दर हो जायेंगे । मुझे आशा है कि इस सुझाव पर अनुकूल विचार किया जायेगा ।

जहां तक हमारे चल-चित्र उद्योग का सम्बन्ध है, निर्माताओं ने कई शिकायतें की हुई हैं कि मंत्रालय उनकी ओर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करता और विवेचन तथा अनुज्ञापन के मामले में उन्हें बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । मैं अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाने के पक्ष में हूं परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि विवेचन सर्वथा हटना चाहिये । उचित तथा रचनात्मक विवेचन आवश्यक है । विदेशों के कई अश्लील तथा अशिष्ट चल-चित्र हमने देखे हैं । यहां भी कई बातों में हालीवुड का अनुसरण करने की प्रवृत्ति फैली हुई है । यदि वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा अन्य मामलों में हमारे निर्माता हालीवुड का अनुसरण

[श्री दामोदर मेनन]

करें तो ठीक है । यह बातें हमें सीखनी हैं परन्तु अश्लील तथा अशिष्ट चल-चित्र बनाने में उनका अनुसरण करना अनुचित बात है । चल-चित्रों का प्रभाव कथित शब्द से अधिक होता है विशेषकर नव युवकों पर और किशोरावस्था वाले व्यक्तियों पर जो कि चल-चित्र बहुत देखते हैं । हमें उनको ऐसे ही चल-चित्र दिखाने चाहियें जिनसे उनकी नैतिकता का विकास हो जाये और इस उद्देश्य से चल चित्रों का विवेचन करना आवश्यक है ।

मुझे विश्वास है कि यथासमय निर्माता स्वयं भी एक स्तर निर्धारित करेंगे जिस के अनुसार वह अपने चल-चित्र बनाते होंगे । शायद उद्योग में ही एक प्रकार की विवेचन प्रणाली चलाई जाये और यह सब से अच्छी बात होगी । परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मंत्रालय द्वारा विवेचन कराना जरूरी है मंत्रालय को भी चाहिये कि वह रचनात्मक धारणा अपनाये और अपने विवेचन से रचनात्मक प्रभाव डाले ताकि शनै शनै: हम अच्छे तथा महान चल-चित्र निर्माण करलें । म यह बात नहीं भूल सकता कि भारत में कई प्रवीण तथा उच्च कोटि के निर्माता हैं जिनके चल-चित्रों की विश्व में कहीं भी बनाये गये श्रेष्ठतम चल चित्रों से तुलना की जा सकती है । ऐसे चल चित्रों के सम्बन्ध में मंत्रालय को प्रोत्साहन देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

मंत्रालय के प्रसारण विभाग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विस्तार किया जा रहा है उचित ढंग से किया जाये । मेरा अभिप्राय शार्टवेव तथा मीडियमवेव ट्रान्स्मिटरों से है । यहां रेडियो सेट बहुत महंगे मिलते हैं और साधारण जनता तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोग ३०० रुपये या इससे अधिक दाम के रेडियो सेट नहीं खरीद सकते । मंत्रालय को सर्वसम्भव प्रयत्न करना चाहिये कि ५० या ६० रुपये की मूल्य के रेडियो सेट बज़ार में लाये जायें ताकि साधारण लोग उन्हें खरीद सकें । यह तभी हो सकता है जब अति शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमिटरों की संख्या बढ़ाई जाये ।

मेरी एक और शिकायत यह है कि रेडियो के लिये जो १५ रुपये वार्षिक का अनुज्ञप्ति शुल्क रखा गया है वह कुछ ज्यादा है । यदि हम चाहते हैं कि साधारण लोग भी रेडियो सेट रखें तो इस शुल्क में कमी की जानी चाहिये ।

मुझे पता लगा है कि सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि सर्वश्रेष्ठ बालोपयोगी चल-चित्र के लिये कुछ इनाम दिया जायेगा । यह एक अच्छी बात है । परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार को बच्चों के लिये अच्छे चल-चित्र बनाने में अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये । हमारे बच्चों को चल-चित्रों द्वारा यह दिखाया जाना चाहिये कि विश्व के अन्य भागों में बच्चे कैसे रहते हैं ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक स्थानीय शिकायत की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मलयालम भाषा के प्रति सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है । यद्यपि इस भाषा में २५ दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं, प्रेस सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो) में मलयालम का कोई यूनिट नहीं, विदेशों के लिये जो

प्रसारण होते हैं उसमें भी मलयालम सम्मिलित नहीं ।

कालीकट तथा त्रिवेन्द्रम के जो दो रेडियो स्टेशन हैं वह बहुत कमज़ोर हैं । सारे मलयालम भाषाभाषी क्षेत्र के लिए एक शक्तिशाली स्टेशन होना चाहिये जो इस क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर सुनाई पड़े । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस मामले पर सोच समझ कर विचार करेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ लोगों ने अपने को कलाकार कहने का बहुत दिनों से दावा किया है । मैं समझता था कि कलाकार किसी कला को सदन के सामने या देश के सामने उपस्थित करते हैं, लेकिन आज एक कलाकार महोदय की ओर से जो नग्न नृत्य यहां किया गया उस को देख कर मैं हैरत में पड़ गया । यदि कला के माने केवल किसी को गालियां देना ही है तो मैं कहूंगा उस कलाकार महोदय को कला की काफी जानकारी है और उसके लिये उनको यदि कोई इनाम भी दिया जाय तो थोड़ा ही होगा । उन्होंने मंत्री महोदय को 'thoroughly incompetent' (सर्वथा अक्षम), 'first class bungler' (घपला करने वालों में नम्बर एक) 'radio-inactive' (रेडियो-अक्रिय) आदि विशेषणों से विभूषित किया । मैं समझता हूं कि यह सभी विशेषण उन्हीं पर लागू किये जा सकते हैं । यदि ये कलाकार महोदय कोई ऐसी बात उपस्थित किये होते जिससे जनता का सरोकार होता जैसे रेडियो के द्वारा जनता का स्तर ऊंचा उठाये जाने की बात कही गयी होती तो मैं उसका समर्थन करता । अभी श्री दामोदर मेनन ने जो दो तीन सुझाव यहां पर उपस्थित किये, मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन उस कलाकर महोदय की ओर से कोई भी सुझाव उपस्थित नहीं किया गया जिससे जनता का लाभ हो, इसलिये मैं उनको कलाकार मानना उचित नहीं समझता । वे भले ही अपने आप को एक कलाकार क्लेम करें, लेकिन ऐसे कलाकारों को हिन्दुस्तान के लोगों को कलाकार नहीं मानना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चहता हूं कि वे वाद-विवाद के समय सदन में उपस्थित रहा करें । उनका उपस्थिति उस समय और भी आवश्यक हो जाती है जब उन्होंने किसी बात पर बहस छेड़ी हो । यह लाज़मी है कि वे उस बात का जवाब सुनने के लिए उपस्थित हों ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं सोचता था कि उन कलाकार महोदय को रूस से छुट्टी मिल जाने के बाद जनता से उनका कोई सरोकार होता, लेकिन रूस से आने के बाद वे केवल उन्हीं सीमित संख्या के लोगों की बात करते हैं, जिन लोगों को रेडियो द्वारा, फिल्म द्वारा या कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों द्वारा कुछ खास पुरस्कार दिये जाते हैं और यदि वह चीज़ उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दीं ।

एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि मैं नहीं चाहता कि इस भारत की लोक सभा को अमरीका के हाउस आफ रिप्रेज़ेनटेटिव्स के रूप में परिणत कर दिया जाय, वहां पर ५००, ६०० लाबीज़ अलग अलग आरगनाइज़ेशन्स की ओर से रहती हैं, और वे जो चीज़ लिखकर देते हैं वही चीज़ ज्यादा तर मेम्बर बोलते हैं । आज उसी चीज़ की नकल मैं यहां पर पाता हूं । इस कलाकार

[डा० राम सुभग सिंह]

महोदय की ओर से उस पैमफलेट में जितनी चीज़ें लिखी गयी हैं, उन्हीं चीज़ों को उद्धृत किया गया और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रक्खा गया, इसमें किसी के सिगनेचर भी नहीं हैं, बिन नाम का है, और इसी से उन्होंने कोट किया और जिसके बारे में अभी हमारी माननीय सदस्या श्रीमती उमा नेहरू ने ज़िक्र किया। नौकरियों के बारे में, रिट्रेंचमेंट के बारे में और और चीज़ों के बारे में उन्होंने इसी पर्चे से कोट किया।

नौकरियों के बारे में सब को दर्द है कि किसी भी आदमी को बेकार न किया जाय और खास कर इस ज़माने में जब कि लोगों को तरह तरह की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन यदि उनकी मनोवृत्ति केवल यही है कि उन्हीं लोगों को, सीमित संख्या के कलाकारों को, नौकरियां दी जायं, तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे मैं ने पहले कहा, कलाकार लोगों को चाहे वह फिल्म के कलाकार हों अथवा रेडियो के हों, जनता से सरोकार रखना ज़रूरी है, वह अपने को उससे अलग नहीं रख सकते।

आज जनता की क्या हालत है, आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी दर्जनों ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर रेडियो नहीं हैं, और वह इसलिये नहीं हैं क्योंकि वहां के लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग उन लोगों की आर्थिक अवस्था बिल्कुल नीची है और वह इस लायक नहीं हैं कि ३०० या २५० रुपये का रेडियो सेट ख़रीद सकें। इस मिनिस्ट्री की ओर से रेडियो स्टेशन कई एक केन्द्रों में खोले गये, कोई २२, २३ स्थानों पर खोले गये और उन्होंने इस बात का भी प्रबन्ध किया कि हर इलाके में, हर भाषा, हर रीजनल लैंग्वेज की सुविधा वहां के रेडियो स्टेशन से दी जाय और यह उचित भी है क्योंकि इससे वहां के आसपास के लोगों को सुनने में सुविधा होती है।

एक चीज़ और मैं चाहता था कि कोई भाई उसके सम्बन्ध में सुझाव पेश करेंगे, लेकिन अब तक चूंकि उसके लिये कोई सुझाव उपस्थित नहीं किया गया, इसलिये मैं ने सोचा कि मैं उस बारे में थोड़ा कह दूं। यह जो तीन सौ रुपये का ज़िक्र आया और जैसा कि मेरे भाई श्री दामोदर मेनन ने कहा कि रेडियो की लाइसेंस फीस कम की जाय, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। यदि आप ध्यान से इस बारे में सोचेंगे तो पायेंगे कि गांवों के कुछ बड़े ज़मींदारों को छोड़ कर गांव का एक भी आदमी इस अवस्था में नहीं है कि वह तीन सौ रुपये का रेडियो खरीद सके। अब अगर २०० या ३०० रुपये चन्दा लगाकर रेडियो खरीदने का प्रबन्ध कर भी लिया जाय तो गांव के आदमी उस रेडियो को मेन्टेन नहीं कर पायेंगे, क्योंकि १५ रुपये तो लाइसेंस फीस उसे देनी होगी और दूसरे अगर रेडियो बिगड़ गया तो मरम्मत का चार्ज देना पड़ेगा। अगर समय पर लाइसेंस रेन्यू नहीं करा पाया तो जुर्माना लगेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय के समक्ष यह सुझाव रक्खूंगा कि रेडियो की लाइसेंस फीस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय....

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): आमदनी कहां से आयेगी?

डा० राम सुभग सिंह: मैं कहता हूं कि सरकार को स्टेट्स में और सेंटर में

दो दो भवनों के लिए तो रुपया मिल जाता है, और २, २ करोड़ रुपये तो इसके लिये रेट-पेयर्स से सरकार ले लेती है तो फिर भला इस कमी को पूरा करने में उसे क्या दिक्कत होगी, अगर आप सात, आठ लाख आदमियों को देश भर में से जो रेडियो रखते हैं, उनको मुफ्त में रेडियो रखने दें तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ।

इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा मकसद है कि हम जनता को शिक्षित करें और कुछ हद तक उन्होंने उस मकसद को पूरा करने में कामयाबी भी हासिल की है, आपका अगर वह मकसद है तो रेडियो लाइसेंस फ़ीस बिल्कुल माफ कर दी जाय तो उस ध्येय की आप वास्तव में पूर्त्ति ही करेंगे । उन दुर्गम पहाड़ों पर जहां कि रेल नहीं जाती और सड़क और यातायात की सुविधा नहीं है, रोहतास के पहाड़ पर आसाम में जहां पर कोई सड़क नहीं है और ६, ६ दिन में आदमी पहुंचता है, कोई समाचार पत्र भी वहां नहीं पहुंचता अगर आप वहां रेडियो की लाइसेंस फ़ीस न रक्खें तो वह लोग रेडियो को रख कर अच्छी तरह से दुनिया के मामलों से जानकारी रख सकेंगे, आपके फाइव ईयर प्लान के बारे में और महत्वपूर्ण बातों के बारे में सुन सकेंगे और जानकारी रख सकेंगे, और उस से उनका ज्ञान विकसित होगा और इस तरह इनफारमेशन एन्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के इस ध्येय की पूर्त्ति होगी कि हमारा ध्येय जनता को शिक्षित करना है । लेकिन आज उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो रही है । और रेडियो कुछ धनी लोगों तक ही सीमित हैं, खास कर शहरों में । और कलाकार भी सीमित हैं कुछ एरिस्टोक्रेटिक मेन्टेलिटी वाले कलाकारों में । इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे कलाकारों को लिया जाय जिनका जनता से सम्बन्ध है, और ऐसे कलाकारों को नमस्कार किया जाय जिनका एरिस्टोक्रेसी से सरोकार है, और जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है ।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यदि किसी कर्मचारी को अनुचित रूप से हटाया गया है तो उसके साथ वैसा अन्याय नहीं किया जाना चाहिए । मैं यह अच्छी तरह से नहीं जानता कि कितने लोगों को अन्यायपूर्वक हटाया गया है । मैं तो समझता हूं कि अगर पबलिक सरविस कमीशन पर और जो बड़े बड़े सिलेक्शन बोर्ड हैं, उन पर हमारा विश्वास नहीं रहेगा तो कोई भी सरकार नहीं चल सकती । किसी एक व्यक्ति पर इस काम को छोड़ने से यह कहीं अच्छा है कि यह काम हम पबलिक सरविस कमीशन पर छोड़ दें । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह देखने के लिए कि इन आलोचनाओं में कुछ तथ्य है या नहीं किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए और अगर इन में कोई तथ्य है तो उस खराबी को दूर करना चाहिये ।

मैं यह भी चाहता हूं कि बच्चों की फ़िल्मों को इम्प्रूव किया जाय । मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और यह मिनिस्ट्री खास तौर पर धन्यवाद की पात्र बन जाती है अगर इसकी आलोचना करने वाले व्यक्तिगत कारणों से या व्यक्तिगत मतभेदों के कारण इसकी आलोचना करते हैं । जिस प्रकार से हमारे एक साथी ने जिनको मैं एक बड़ा कलाकार समझता था इस मिनिस्ट्री पर आक्रमण किया है उस को देख कर तो अगर पहले कोई इसके बारे में शक भी था कि गड़बड़ी है, वह निकल गया । सब कोई जानते हैं कि केसकर साहब का क्या रवैया रहा है । और उन

[डा० राम सुभग सिंह]

पर इस तरह के गन्दे आक्षेप करना तो किसी छोटे कलाकार को ही शोभा दे सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांग का समर्थन करता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : १९५३-५४ की रिपोर्ट में मंत्रालय की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि बहुत से नये ट्रांसमिटर लगवाये गये हैं, संगीत के भव्य कार्यक्रम प्रसारित किये गए हैं, रेडियो लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि हुई है, आदि आदि । जहां यह सारी बातें सराहनीय हैं वहां हमें इस बात का भी पता लगाना चाहिये कि क्या अखिल-भारत रेडियो का श्रोतागण बढ़ गया है तथा क्या इसके कार्यक्रम लोकप्रिय बनते जाते हैं अथवा नहीं । मेरे विचार में इस दिशा में हमारी प्रगति कुछ ज्यादा नहीं ।

शास्त्रीय संगीत तथा हल्के संगीत के विवाद में हमारी नीति यह नहीं होनी चाहिये कि हम जनता पर ऐसी कोई चीज़ ठोंसें जो कि उसे पसन्द न हो । मैं जानना चाहता हूं कि देश में कितने प्रति-शत सुनने वाले ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत को समझते हैं तथा इससे अपना मनोरंजन करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस नीति के परिणामस्वरूप हमारा श्रोतागण घट रहा है, कारण वह इस शास्त्रीय संगीत को उतना पसन्द नहीं करते हैं जितना कि हम समझते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप जनता की आवश्यकतायें पूरा करना चाहते हैं तो आप को यह भी देखना चाहिये कि वह चाहते क्या हैं । हमें इस बात की जांच करना चाहिये कि क्या यह सत्य है कि जो लोग पहले अखिल-भारत रेडियो का संगीत सुना करते थे, वह अब पाकिस्तान रेडियो तथा सीलोन रेडियो सुना करते हैं । हम लोगों को वह चीज़ सुनाना चाहते हैं जो कि वह सुनना नहीं चाहते हैं । यह नीति न केवल देशीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही है अपितु विदेशी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी अपनाई जा रही है । मुझे स्वयं शास्त्रीय संगीत से प्रेम है यद्यपि मुझे इसकी अधिक जानकारी नहीं । परन्तु प्रश्न केवल यह है कि विदेशों में कितने ऐसे रेडियो सुनने वाले होंगे जिन्हें कि हमारे शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी है ।

हमारे कुछ ब्राडकास्ट विदेशों में सुने भी नहीं जाते होंगे । ७-३० से ८-३० म० पू० तक यूरोप के लिए कुछ ब्राडकास्ट होते हैं । मेरे विचार में उस समय सारा यूरोप सोया पड़ा रहता है ऐसी दशा में कौन इन ब्राडकास्टों को सुनता होगा ?

देश में संगीत सुनने वालों की रुचि में सुधार करने का आप प्रयत्न करें, परन्तु विदेशों में इस तरह का सुधार करना ठीक नहीं । मुझे पता चला है कि अखिल भारत रेडियो की संगीत नीति के कारण अफ़गानिस्तान में, जहां कि भारतीय फिल्मों को हमारे गानों के कारण एकाधिकार प्राप्त था, हमारा स्थान पाकिस्तान ले रहा है । बताया गया है कि हल्का संगीत तैयार करने के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं । वह तो केवल फ़िल्मी गानों की नक़ल हैं । हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि क्या हम सचमुच अच्छे गाने तैयार कर रहे हैं अथवा नहीं । यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें यह कोशिश छोड़ देनी चाहिये तथा धन बचाना चाहिये ।

कर्मचारियों में असंतोष की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । कुछ कर्मचारियों को पांच पांच दस दस वर्ष की सेवा के बावजूद नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले पर स्वयं ध्यान दें। कर्मचारी वर्ग वर्तमान नीति से असन्तुष्ट है। कर्मचारियों को बिना किसी कारण के एक से दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है मुझे बताया गया है कि दो ही महीनों में एक महिला कर्मचारी को बम्बई से त्रवेन्द्रम, त्रवेन्दम से दिल्ली और दिल्ली से गोहाटी भेजा गया ।

कलाकारों को जो फ़ीस दी जाती है वह बहुत ही कम है। १५ अथवा २० रुपये पर कैसे कोई कलाकार दूर से आ कर अपना व्याख्यान दे सकता है अथवा गाना सुना सकता है ? विदेशों में यदि किसी कलाकार का गाना अधिक स्टेशनों से प्रसारित किया जाता है तो उसे अधिक पैसे मिलते हैं, परन्तु यहां यदि बीस स्टेशनों से भी उसका गाना आदि प्रसारित किया जाता है तो उसे वही १५ अथवा २० रुपया मिलता है ।

विदेशों के लिए पंजाबी में जो ब्राडकास्ट होते हैं, उन में कुछ एक दर्जन रिकार्डों को बार बार चलाया जाता है । नये कलाकारों को आने का मौका नहीं दिया जाता है । मेरे विचार में ऐसा न केवल पंजाबी के बारे में हो रहा है अपितु अन्य प्रादेशिक भाषाओं के बारे में भी हो रहा है ।

जहां तक फिल्म विभाग का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस ने सारा काम अपने हाथ में लिया है । अच्छा यह होता कि अन्य देशों की तरह यहां भी यह फ़िल्में उद्योगपतियों द्वारा बनाई जातीं । सरकार यह काम उन्हें सौंप सकती है तथा स्वयं समाचार फ़िल्म आदि बना सकती है । इस तरह से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा हमें तरह तरह के फ़िल्म मिल सकते हैं ।

इंगलैंड में संसद् की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रतिदिन एक प्रसारण कार्यक्रम होता है । प्रतिदिन पन्द्रह मिनट इसकी कार्यवाही सुनाई जाती है ।

डा० केसकर : यहां भी संसद् में यह 'सप्ताह' नाम का एक कार्यक्रम है ।

सरदार हुक्म सिंह : केवल एक कार्यक्रम पर्याप्त नहीं । मेरे विचार में यह अधिक व्यापक होना चाहिये । निरक्षर जनता में समाचारपत्र वह काम नहीं कर सकते हैं जो कि रेडियो के कार्यक्रम कर सकते हैं । केन्द्र में इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम हो, परन्तु राज्य विधान सभाओं के बारे में यह व्यवस्था बिल्कुल अपर्याप्त है ।

१९४७ में ५० ट्रान्समिटरों के लिए आर्डर दिया गया था । उनमें से मेरे विचार में छै प्राप्त हुय हैं तथा छे में से केवल तीन लगवाए गए हैं । तीन अभी बेकार पड़े हैं । शार्ट-वेव टांसमिटर भी गत २५ महीनों से गोदामों में पड़े हुये हैं ।

डा० केसकर : शार्ट-वेव ट्रांसमिटर दस सप्ताह पहले हमें मिले हैं । वह इस समय गोदामों में हैं । मेरा विचार है कि अगले अठारह महीनों में इन्हें लगवाया जायगा ।

सरदार हुक्म सिंह : छे महीने पहले मैं ने इन ट्रांसमिटरों के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था तथा मुझे उत्तर मिला कि वह प्राप्त हुये हैं ।

डा० केसकर : शार्ट-वेव ट्रांसमिटर बहुत ही पेचीदा हैं तथा इनकी मशीनरी भी बहुत बड़ी है। मशीनरी का कुछ हिस्सा आना शुरू हुआ था तथा अब यह सारी चीज़ मुकम्मल हुई हैं। कुछ हो सप्ताह पहले हमने इस मशीनरी आदि को गोदामों में रखवाया है क्योंकि ट्रांसमिटरों को तत्काल ही विदेशों से मंगवाना सम्भव नहीं। इस सामान को पहले यहां प्राप्त करना तथा फिर इसे लगवाना अच्छा है।

सरदार हुक्म सिंह : यह नाज़ुक मशीनें हैं तथा ज़्यादा समय इन्हें गोदामों में रखने से इनके खराब होने की आशंका है। अतः हमें अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये ज्योंही यह ट्रांसमिटर हमारे पास पहुंच जायें त्योंही यह लगवा दिये जाने चाहियें।

इस मंत्रालय का प्रशासन प्रतिवेदन १९३९ में प्रकाशित किया गया था। तब से अब तक हमारे पास कोई व्यापक रिपोर्ट नहीं। वार्षिक रिपोर्टों की तुलना में हमें अधिक व्यापक रिपोर्टें मिलनी चाहियें। इस से गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि—दक्षिण): यह अत्यन्त ही खेद की बात है कि संसद के कवि सदस्य ने एक ऐसे काम के लिए माननीय मंत्री की घोर निन्दा की है जिसके लिए वह वास्तव में हार्दिक बधाई के पात्र थे। मैं माननीय मंत्री को उस सुन्दर काम के लिए बधाई देता हूं जो कि उन्होंने अपने मंत्रालय में सुधार करके किया है। प्रसारण का उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना तथा सूचना और शिक्षा देना है। इस कसौटी पर मंत्री जी की नीति पूरी उतरती है।

जहां तक फिल्मी गानों का सम्बन्ध है, हमें मालूम है कि हमारे बच्चे कैसे गली कूचों में इन्हें गाते फिरते थे। मां बाप उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि वह दिन रात रेडियो की नक़ल करते रहते थ। यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने हमें इस अभिशाप से मुक्त किया है। सरदार हुक्म सिंह ने बताया कि कोई व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को नहीं समझता है। यह बात सही नहीं। हमें मालूम है कि लोग किस तरह से हीराबाई बरोडकर, सुब्बालक्ष्मी तथा उस्ताद अल्लाउद्दीन खां तथा उस्ताद फैयाज़ खां के शिष्यों के गाने सुनते रहते हैं। जनता की रुची में अवश्य हो परिवर्तन आया है।

श्री चट्टोपाध्याय उन सुधारों को समझ नहीं सके हैं जोकि डा० केसकर ने इस विभाग में किए हैं। मुझे खेद है कि उन्होंने मंत्री महोदय पर वैयक्तिक आरोप लगाए हैं।

रेडियो सेटों की संख्या आठ लाख तक बढ़ गई है। गत अगस्त में यह संख्या ७,५९,००० थी। इसका अर्थ यह है कि रेडियो के कार्यक्रम सर्वप्रिय बनते जा रहे हैं तथा सुनने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है ग्रामों में भी सामुदायिक रेडियो सेटों की संख्या ५,००० से बढ़कर ६,८२७ हो गई है। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि सारे ग्रामीण रेडियो सुन सकें। गांव वालों के लिए सायंकाल ही रेडियो सुनने का समय होता है। प्रायः ऐसा होता है कि किसान दिन भर

खेती कर के शाम को घर लौटता है, और खाना खाकर आराम करने लगता है। यह ठीक है कि खाना खा कर वह बाहर घूमे और सामुदायिक प्रसारण सुनने की आदत डाल दे, किन्तु उस में समय लगेगा। अतः मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आध घंटे के स्थान पर एक घंटे तक इस प्रकार के प्रसारण हों, और यह इस तरह हो कि सायंकाल में आध घंटा इस तरह का प्रसारण हो, और फिर रात को ९-३० म० प० पर हो।

कई स्कूलों ने रेडियो सेट लिए हैं। लगभग २,७०० स्कूलों के पास रेडियो सेट हैं। क्या इसे इस बात का साक्ष्य कहा जा सकता है कि सरकार की प्रसारण नीति अलोकप्रिय है ? क्या इस से श्री हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय के दृष्टिकोण की पुष्टि हो जाती है? कदापि नहीं। वे लोग यह करें कि सरकार जो भी बात शुरू करे, उसे मानना पड़ता है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होता। जिन दिनों आल इंडिया रेडियो से गन्दे फिल्मी गीत प्रसारित होने बन्द हो गए, उन दिनों लोगों ने बहुत आलोचना की थी, लेकिन अब सब सुधर रहे हैं। ये लोग श्री लंका से फ़िल्मी गीत सुना करते थे, लेकिन अब वे भी फ़िल्मी गाने पसन्द नहीं करते। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि श्री लंका रेडियो ने भी १५-२० मिनट तक शास्त्रीय संगीत का प्रसार करना शुरू किया है। क्या इसे रेडियो प्रोग्रामों में हुए सुधार का परिणाम नहीं कहा जा सकता ?

यह भी कहा गया है कि यह हल्का संगीत उस स्तर का नहीं होगा, जिस स्तर का संगीत फिल्म-उद्योगपतियों या विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। फिल्म उद्योगपतियों ने जनता को वे गाने दिए हैं जिन से उसके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, उन के संगीत से लोगों को भारी हानि पहुंच रही है। सूचना एवं प्रसारण विभाग का यह काम है कि जनता को शिक्षित किया जाय और इन उपनैतिक और अशिष्ट गानों से बचाया जाय। हमारे देश की तरुणाई पर इन गन्दे गीतों का बुरा प्रभाव पड़ रहा था, अतः रेडियो की ओर से हुए इस सुधार का मैं स्वागत करता हूं, और इस आलोचना को अस्वीकार करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे गीत बनाए और प्रसारित किए जाएं जिन से हमारे देश की संस्कृति और नैतिकता पर कुठाराघात न हो।

अमरीका का अमरीकी फ़िल्म कोड सर्वप्रथम नैतिकता एवं धर्म के संरक्षण को महत्व देता है। हो सकता है कि फिल्मों में उनकी यह बात पूरी तरह से नहीं उतरती हो। किन्तु हमारे यहां के फिल्म-उद्योगपति देश के नैतिक स्तर को एक तरफ रख कर पैसा बटोरने की होड़ में लगे हैं। मैं यहां इस बात को चेतावनी दिए बिना नहीं रह सकता कि हमें पाश्चात्य फ़िल्मों का अन्धाधुन्ध अनुकरण नहीं करना चाहिये, बल्कि अपने देश की संस्कृति और नैतिक सार को बनाए रखना चाहिये। हमारे फ़िल्मों में हमारे देश के सामाजिक जीवन का चित्रण होना चाहिये और ऐसी बातों का समावेश किया जाना चाहिए जो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे जनजीवन और हमारे सामाजिक स्तर को बनाए रखने के साथ-साथ हमारे नैतिक स्तर को सुरक्षित रखें और हमारे देश के नवयुवकों में स्वदेशी नैतिकता का सूत्रपात करें।

[श्री एम० डी० जोशी]

चित्रों के विवेचन के विपक्ष में भी कई बातें कही गई हैं, और इस पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बम्बई के फिल्म सेन्सर बोर्ड में दस महिला सदस्य और छः पुरुष सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में भला कभी यह हो सकता है कि कोई अदर्शनीय अथवा अवांछनीय बात फिल्म में प्रवेश कर सके। महिलाओं की बहुतायत रहने के कारण हमारे चित्रों में हमारा नैतिक स्तर कायम रहेगा। भारत नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के ये शब्द उद्धृत करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि "नाटक की रचना करते समय इस बात को स्मरण करना चाहिए कि दर्शकों या श्रोताओं में कहीं आप की माता, बहन या कन्या भी होगी। अतः ऐसे दृश्यों की रचना न की जाय, जिसको देख या सुन कर उन्हें लज्जित होना पड़े।" इसी सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाये जाने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होगी।

इसके पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, ८ अप्रैल १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई